घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 283- गुरूवार 13- अगस्त 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

राज्यसभा से केरल नाम परिवर्तन विधेयक पारित,'केरल' का नाम होगा 'केरलम'

FCRA संशोधन बिल जेपीसी को भेजने का प्रस्ताव लोकसभा में पास....

- शाह बोले...स्पीकर चर्चा के लिए घंटे तय करें,मैं सदन में रहूंगा,ओम बिरला को लेटर लिखा
- राहुल गांधी ने कहा...हमें लेक्चर नहीं सुनना,बताएं छात्रों पर गोलियां किसने चलवाईं...

नई दिल्ली,12 अगस्त 2026। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लेटर लिखा। उन्होंने नीट पेपर लीक पर छात्रों के प्रदर्शन के मुद्दे पर चर्चा के लिए समय तय करने की मांग की। इससे पहले सुबह सदन के बाहर शाह ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है,लेकिन विपक्ष सदन को चलने दे। इस पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा,'हमें उनका लेक्चर नहीं सुनना है। पहले ये बताएं कि जंतर-मंतर पर छात्रों पर गोलियां किसने चलवाईं। उन्होंने आदेश नहीं दिया तो वे इस्तीफा दें।' इस बीच सरकार ने एफसीआरए संशोधन बिल, 2026 को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी के पास भेजने का प्रस्ताव लोकसभा में रखा, जिसे मंजूरी मिल गई। समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे। शाह ने पहली बार इस मुद्दे पर सार्वजनिक बयान दिया,कहा...रोज सदन में आ रहा हूं।

संसदीय पैनल ने जस्टिस यशवंत वर्मा पर लगे तीनों आरोप सही पाए

संसदीय जांच पैनल ने जस्टिस यशवंत वर्मा पर लगाए गए आरोप सही पाए हैं। यह मामला उनके सरकारी आवास के स्टोररूम से नकदी मिलने से जुड़ा है। पैनल की रिपोर्ट बुधवार,12 अगस्त को लोकसभा और राज्यसभा में पेश की गई। रिपोर्ट के मुताबिक,स्टोररूम में 500 रुपए के नोटों की काफी मात्रा मिली थी,लेकिन जस्टिस वर्मा नकदी के स्रोत,मालिकाना हक या वहां मौजूद होने की संतोषजनक वजह नहीं बता सके। जस्टिस वर्मा इस साल अप्रैल में हाईकोर्ट के जज पद से इस्तीफा दे चुके हैं।

एफसीआरए संशोधन बिल जेपीसी को भेजने का प्रस्ताव लोकसभा में पास

लोकसभा ने हंगामे के बीच एफसीआरए संशोधन बिल, 2026 को दोनों सदनों की संयुक्त समिति (जेपीसी) के पास भेजने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने इसका विरोध किया। इसपर संसदीय कार्य मंत्री किरन रिजिजू ने कहा कि कुछ बिलों को जेपीसी के पास भेजा जाता है और सरकार भी यही कर रही है। बिल में कुछ आपत्तिजनक है तो विपक्ष जेपीसी के सामने अपनी बात रख सकता है। खुश होने के चक्कर में इसका विरोध करना अफसोस की बात है। वहीं,अखिलेश यादव ने एफसीआरए बिल का विरोध करते हुए कहा कि पूरा विपक्ष इसके खिलाफ है। रिजिजू के इस दावे पर कि बिल अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है, अखिलेश ने सवाल किया- आप बताइए कि कौन सा बिल अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है?

राहुल बोले...शाह सदन में क्यों नहीं आए

राहुल ने कहा...स्टूडेंट्स को गोली किसने मारी? स्टूडेंट्स को कीलों वाली लाठियों से पीटने का ऑर्डर किसने दिया? क्या अमित शाह ने हमारे बच्चों को गोली मारने का ऑर्डर दिया था? अगर उन्होंने दिया है,तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। राहुल ने आगे कहा...शाह घर के सामने हजार पुलिस वाले खड़े होते हैं। 30 गाड़ियां उनके आगे पीछे होती हैं कि कहीं कोई बच्चा न आ जाए। पिछले 20 दिनों से अमित शाह गायब हैं। गृह मंत्री में हिम्मत नहीं है। वह सदन में नहीं आ सकते।

शाह का लोकसभा स्पीकर को लेटर, कहा...चर्चा के लिए समय तय करें...

गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लेटर लिखा। उन्होंने कहा, आप जानते हैं कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के दौरान सरकार की ओर से नीट परीक्षा को लेकर छात्रों के प्रदर्शन पर संसद में चर्चा कराने पर सहमति जताई है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि विपक्ष की मांग से पहले ही संसद के मौजूदा सत्र में एंटी पेपर लीक बिल पेश किया गया। उस समय विपक्ष के किसी भी सदस्य ने सदन में नीट परीक्षा से जुड़े मुद्दे पर अपनी बात नहीं रखी थी। इसके बावजूद सरकार इस मुद्दे पर दोबारा चर्चा के लिए तैयार है। मेरा अनुरोध है कि आप विपक्ष से चर्चा करें और आपसी सहमति के आधार पर आज से इस मुद्दे पर चर्चा के लिए जितना समय, दिन या घंटे उचित समझें,निर्धारित करें।

राज्यसभा से केरल नाम परिवर्तन विधेयक पारित,'केरल' का नाम होगा 'केरलम'

संसद ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण विधेयक पारित करते हुए केरल का नाम बदलकर 'केरलम' करने को मंजूरी दे दी। राज्यसभा ने इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित किया, जबकि लोकसभा ने इसे मंगलवार को ही मंजूरी दे दी थी। केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 का उद्देश्य संविधान की पहली अनुसूची में दर्ज राज्य के नाम को संशोधित कर 'केरल' से 'केरलम' करना है। केरल विधानसभा ने वर्ष 2024 में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलने के लिए कानून लाने की सिफारिश की थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने विधेयक को आगे बढ़ाया। विधेयक के पारित होने के बाद अब इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद आधिकारिक रूप से राज्य का नाम बदलकर केरलम कर दिया जाएगा। राज्य सभा में इस विधेयक पर चर्चा के बाद इस पर जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह बदलाव राज्य की भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को अधिक सटीक रूप से दर्शाने के उद्देश्य से किया गया है। केरल विधानसभा ने वर्ष 2024 में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलकर 'केरलम' करने के लिए कानून लाने की सिफारिश की थी। उन्होंने बताया कि इसी अनुरोध को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने यह विधेयक संसद में पेश किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी राज्य का नाम बदलने की प्रक्रिया संबंधित राज्य विधानसभा के प्रस्ताव पर आधारित होती है। यदि पश्चिम बंगाल भी ऐसा प्रस्ताव पारित करता है, तो केंद्र सरकार उस पर भी विधेयक लाने पर विचार करेगी।

परिसीमन के खिलाफ तमिलनाडु विधानसभा में प्रस्ताव पारित,लोकसभा की 543 सीटें स्थायी रखने की मांग

चेन्नई,12 अगस्त 2026। लोकसभा में सांसदों की मौजूदा संख्या 543 को स्थायी बनाए रखने और प्रस्तावित परिसीमन के कारण दक्षिणी राज्यों के प्रतिनिधित्व पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव को रोकने की मांग को लेकर तमिलनाडु विधानसभा ने बुधवार को एक प्रस्ताव पारित किया। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने विधानसभा में यह प्रस्ताव पेश किया। चर्चा के बाद इसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही मुख्यमंत्री विजय ने सरकार की ओर से प्रस्ताव रखा और सदन को संबोधित किया। प्रस्ताव में केंद्र सरकार से लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या को स्थायी रूप से बनाए रखने तथा राज्यों के बीच सीटों के बंटवारे में स्थिरता सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है। इसके साथ ही महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को बिना किसी देरी के मौजूदा 543 लोकसभा सीटों के आधार पर वर्ष 2029 के आम चुनाव में लागू करने की मांग की गई है। प्रस्ताव पर चर्चा के बाद मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि केंद्र सरकार को महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह महिलाओं के लिए कोई रियायत नहीं, बल्कि उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि एक महिला के सशक्त होने से एक परिवार आगे बढ़ता है और हजारों महिलाओं के सशक्त होने से पूरा देश आगे बढ़ता है। उन्होंने महिलाओं को राजनीति में समान अवसर देने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि उन्हें राजनीतिक व्यवस्था में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।

मुंबई के घाटकोपर में लैंडस्लाइड..7 की मौत,पहाड़ का हिस्सा तीन घरों पर गिरा

मुंबई,12 अगस्त 2026। मुंबई के घाटकोपर के चिराग नगर में बुधवार सुबह 3:48 बजे लैंडस्लाइड से पहाड़ी का मलबा 3 घरों पर गिर गया। हादसे में 7 लोगों की मौत और 7 घायल हुए हैं, जबकि 3-4 लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। रेस्क्यू टीम विक्टिम-डिटेक्शन कैमरों से तलाश कर रही है। गली बेहद संकरी है,भारी मशीनें मौके तक नहीं पहुंच पा रही हैं। मलबा पहले ब्रेकर से तोड़ा जा रहा है, फिर बाल्टियों से हाथ से हटाया जा रहा है,जिससे रेस्क्यू में समय लग रहा है। अधिकारियों के मुताबिक, प्रभावित इलाके तक पहुंचने वाली गलियां इतनी संकरी हैं कि एक समय में मुश्किल से एक व्यक्ति ही अंदर जा सकता है और दो लोग आमने-सामने भी खड़े नहीं हो सकते। पुलिस के मुताबिक, हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के शव अस्पताल भेज दिए गए हैं। वहीं,घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें 18 साल के सोहेल अंसारी के सिर में चोट आई है,जबकि 14 साल के मोहम्मद अंसारी की पीठ में चोट लगी है। मुंबई की मेयर ऋतु तावड़े ने घटनास्थल का दौरा कर राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने मृतकों के परिवार को 4 लाख की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। वहीं, हादसे में घायल प्रत्येक व्यक्ति के इलाज के लिए 50 हजार देने की घोषणा की गई है।

कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला : राज्य में गुटखा-पान मसाला बनाना,बेचना-रखना और ढोना- सब पर एक साल का प्रतिबंध

नई दिल्ली,12 अगस्त 2026। कर्नाटक के खाद्य सुरक्षा आयुक्त कार्यालय ने राज्य में तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा व पान मसाला के निर्माण, भंडारण, वितरण, परिवहन और बिक्री पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला सार्वजनिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। आदेश के तहत ऐसे उत्पादों की किसी भी तरह की आपूर्ति और बिक्री पर रोक रहेगी। खाद्य सुरक्षा विभाग ने संबंधित कारोबारियों को प्रतिबंध का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का उद्देश्य तंबाकू और निकोटीन के सेवन से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों को कम करना है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। कर्नाटक सरकार ने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के नेतृत्व में विशेष निरीक्षण और प्रवर्तन अभियान भी शुरू किए हैं।

पीएम मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की बायोग्राफी 'ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिकः माय लाइफ, माय स्ट्रगल्स' लॉन्च की

रील्स के दौर में शॉर्टकट न अपनाएं,जेन-जी को दूसरों के संघर्षों से सीखना चाहिए : पीएम मोदी

नई दिल्ली,12 अगस्त 2026। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने युवाओं से आत्मकथाएं पढ़ने और दूसरे लोगों के जीवन के संघर्षों से सीख लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि रील और सोशल मीडिया के दौर में शॉर्टकट की प्रवृत्ति बढ़ रही है। युवाओं को याद रखना चाहिए कि शॉर्टकट छोटा कर देता है। आत्मकथाओं के जरिए किसी व्यक्ति के जीवन के साथ उस दौर के इतिहास को भी करीब से समझा जा सकता है। उन्होंने यह विचार पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिकः माय लाइफ, माय स्ट्रगल्स के लोकार्पण समारोह में व्यक्त किए। मोदी ने कहा कि कोविंद की जीवन यात्रा, उनके संघर्ष और देश के लिए योगदान नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। यह आत्मकथा भारतीय लोकतंत्र और भारतीय समाज के लिए धरोहर बनेगी। पुस्तक का शीर्षक यह संदेश देता है कि पूर्व राष्ट्रपति कोविंद के जीवन के संघर्ष व्यक्तिगत थे, लेकिन उनसे मिली सफलता भारत के गणतंत्र और लोकतंत्र की जीत है। मोदी ने उनके साथ अपने लंबे जुड़ाव को याद करते हुए कहा कि उन्हें पूर्व राष्ट्रपति को करीब से जानने और राष्ट्रपति के रूप में उनका मार्गदर्शन पाने का अवसर मिला। उन्होंने कोविंद के स्नेह और आत्मीयता को अपनी बड़ी पूंजी बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविंद ने सामान्य परिवार से निकलकर अपनी मेहनत और क्षमता के बल पर देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचने का सफर तय किया। उन्होंने कहा कि कानपुर देहात में एक सामान्य परिवार में जन्मे कोविंद के घर में एक बार आग लग गई थी। इस हादसे में उनकी मां की मृत्यु हो गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि इतनी कम उम्र में मां को खोना बेहद दर्दनाक था, लेकिन कोविंद इन परिस्थितियों से टूटे नहीं बल्कि और मजबूत होकर आगे बढ़े। पड़ोस की एक महिला ने उनके पालन-पोषण में मदद की, जबकि उनके पिता ने परिवार को संभाला और बच्चों को संस्कार दिए। कोविंद अपने पिता को अपना हीरो मानते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविंद ने बचपन की कठिन परिस्थितियों के बीच शिक्षा को अपनी ताकत बनाया। संसाधनों की कमी को उन्होंने कमजोरी नहीं बनने दिया और मेहनत के बल पर आगे बढ़ते हुए राष्ट्रपति पद तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि इतने बड़े पद पर पहुंचने के बाद भी कोविंद की सादगी और विनम्रता बनी रही। मोदी ने कहा कि वह प्रोटोकॉल से अलग राष्ट्रपति भवन में अपने कार्यकाल में आत्मीयता के साथ व्यवहार करते थे और प्रधानमंत्री को विदा करने के लिए गाड़ी तक आते थे। राष्ट्रपति बनने के बाद कोविंद जब अपने गांव परौंख गए तो उन्होंने अपने गुरुओं के पैर छुए और गांव की मिट्टी को नमन किया। उनके इस आचरण ने दुनिया के सामने भारतीय संस्कारों की तस्वीर पेश की। उन्होंने कहा कि कोविंद का जीवन उस भारत के सपने को साकार करने का उदाहरण है, जहां गरीब और वंचित व्यक्ति भी अपनी मेहनत और योग्यता के बल पर देश के सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है।

टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन का इस्तीफा

नई दिल्ली,12 अगस्त 2026। टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने आज 12 अगस्त को इस्तीफा दे दिया है। हालांकि, वे फरवरी 2027 तक पद पर बने रहेंगे। उनका इस्तीफा 18 अगस्त को होने वाली टाटा संस की एजीएम से ठीक पहले आया है। चंद्रशेखरन के तीसरे कार्यकाल को लेकर टाटा ट्रस्ट्स के साथ सहमति नहीं बन पाई थी।

नए कारोबारों में भारी निवेश, उनके प्रदर्शन और टाटा संस के भविष्य को लेकर मतभेद इस फैसले की बड़ी वजह बने। एन चंद्रशेखरन के इस्तीफे की खबर के बाद टाटा ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में गिरावट है। टीसीएस, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और टाटा कंज्यूमर के शेयर 3% तक नीचे हैं। चंद्रशेखरन ने कहा कि, 'टाटा संस के चेयरमैन के रूप में मेरा मौजूदा कार्यकाल 20 फरवरी 2027 को खत्म हो रहा है। सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके मेरे अगले 5 साल के कार्यकाल के विस्तार की सिफारिश की थी।

इमरान खान की मौत का दावा झूठा

पाकिस्तानी पत्रकार एक दिन बाद ही पलटा पीटीआई बोली-मिलने दो,नहीं तो सड़कों पर उतरेंगे

नई दिल्ली,12 अगस्त 2026। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मौत की आशंका जताने वाला पाकिस्तानी पत्रकार दावे से पलट गया है। अमेरिका में रह रहे पाकिस्तानी पत्रकार वजाहत सईद खान ने मंगलवार रात 11 बजे एक वीडियो जारी कर इमरान की मौत की आशंका जाहिर की थी। वजाहत ने बुधवार दोपहर कहा कि इमरान की मौत की आशंका सेना के अफसरों की सूचनाओं के आधार पर किया गया एक आकलन था। इमरान अगस्त 2023 से रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद हैं। पाकिस्तानी पत्रकार के दावे के बाद इमरान की बहनों ने भी सवाल उठाया कि उन्हें भाई से मिलने नहीं दिया जा रहा है। इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने चेतावनी दी है कि अगर इमरान से मिलने नहीं दिया गया, तो समर्थक सड़कों पर उतर जाएंगे।

जंतर-मंतर सीजन 2 जल्द आएगा...हमें दिल्ली में बैठक के लिए हॉल नहीं मिला : अभिजीत दीपके

नई दिल्ली,12 अगस्त 2026। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने बुधवार को छात्र आंदोलन की तर्ज पर एक और प्रदर्शन जल्द शुरू करने का ऐलान किया। उन्होंने इसे 'जंतर-मंतर सीजन 2' बताया। दीपके ने आरोप लगाया, 'हमने आज दिल्ली में अपने वॉलेंटियर्स की बैठक रखी थी। हम एक हॉल की तलाश कर रहे थे, लेकिन कोई भी हमें हॉल किराए पर देने को तैयार नहीं था। सभी लोग कहते रहे कि ऊपर से दबाव है।' उन्होंने आरोप लगाया, 'इन सब के पीछे बीजेपी का हाथ है। इस तरह की कार्रवाई से हम पीछे नहीं हटेंगे।' नीट पेपर लीक के मामले में सीजेपी ने जंतर-मंतर पर 37 दिन धरना प्रदर्शन किया था। यह प्रदर्शन 25 जुलाई को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और मांगें मान लेने के बाद खत्म हो गया था। चीफ स्पोक्सपर्सन सौरव दास ने कहा, 'कॉकरोच जनता पार्टी अब देशभर में 'लिसनिंग टूर' शुरू करने जा रही है, ताकि लोगों की बात सुनी जा सके। पार्टी एक कैंपेन चलाएगी और स्वतंत्रता दिवस से शिक्षा के मुद्दे को प्राथमिकता देगी।' चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने 15 मई को एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा- कुछ बेरोजगार युवा कॉकरोच जैसे होते हैं, जो बाद में मीडिया, सोशल मीडिया या आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करने लगते हैं। 16 मई को रात 12 बजे अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी नाम का सोशल मीडिया अकाउंट और वेबसाइट बनाई। एक्स पर एक गूगल फॉर्म जारी हुआ।

छत्तीसगढ़ में आईपीएसी अफसरों ने गोद लिए थाने,डीजीपी अरुणदेव गौतम ने चुना रतनपुर

रायपुर,12 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक दक्षता को नई मजबूती देने के उद्देश्य से राज्य पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने एक-एक थाना गोद लेने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। डीजीपी अरुणदेव गौतम समेत राज्य के 125 भारतीय पुलिस सेवा और राज्य पुलिस सेवा अधिकारियों को विभिन्न थानों की जिम्मेदारी दी गई है। डीजीपी अरुणदेव गौतम ने स्वयं बिलासपुर के प्रसिद्ध रतनपुर थाने को गोद लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित अखिल भारतीय डीजीपी-आईजीपी कॉन्फ्रेंस में दिए गए सुझाव पर अमल करते हुए यह कदम उठाया गया है। स्वतंत्रता दिवस के बाद सभी अफसर अपने आवंटित थानों का मैदानी दौरा कर वहां की कमियों और सुधार की कार्ययोजना तैयार करने में जुट गए हैं। इस विशेष पहल के तहत राज्य के बड़े प्रशासनिक अधिकारियों ने अलग-अलग जिलों के थानों की जिम्मेदारी संभाली है।

अपर पुलिस महानिदेशक एसआरपी कल्लूरी ने बस्तर के कोतवाली थाने को चुना है, वहीं एडीजी प्रदीप गुप्ता ने महासमुंद के तुमगांव और एडीजी दीपांशु काबरा ने अंबिकापुर कोतवाली को गोद लिया है। इसी क्रम में एडीजी अमित कुमार को राजनांदगांव का लालबाग थाना, पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला को रायपुर का टिकरापारा थाना और आईजी अमरेश मिश्रा को बलौदाबाजार का हदबंद थाना आवंटित हुआ है।

आईपीएस के साथ-साथ राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को भी थानों का प्रभार देकर जमीनी पुलिसिंग को रफ्तार देने का खाका खींचा गया है। इस योजना की नींव पिछले वर्ष नवा रायपुर में आयोजित 60वीं अखिल भारतीय डीजीपी-आईजीपी कॉन्फ्रेंस में रखी गई थी।

किसानों की समृद्धि से ही समृद्ध होगा छत्तीसगढ़ : सीएम विष्णु देव साय

रायपुर,12 अगस्त 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज हरेली तिहार के पावन अवसर पर नवा रायपुर में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा के नवीन शासकीय आवास में आयोजित गृह प्रवेश समारोह एवं हरेली उत्सव में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने वर्मा एवं उनके परिजनों को नवीन आवास में गृह प्रवेश की बधाई देते हुए उनके सुखी, समृद्ध और मंगलमय जीवन की कामना की। उन्होंने उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों को भी छत्तीसगढ़ के प्रथम लोक पर्व हरेली की शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह विशेष रूप से उपस्थित थे। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हरेली जैसे शुभ अवसर पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा का नवीन शासकीय आवास में गृह प्रवेश इस अवसर को और भी विशेष बनाता है। हरेली हमारी कृषि संस्कृति, प्रकृति और ग्रामीण जीवन से गहराई से जुड़ा पर्व है। किसान इस दिन कृषि औजारों और गौवंश की पूजा कर प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तथा अच्छी वर्षा, भरपूर फसल और परिवार की खुशहाली की कामना करते हैं। यह पर्व छत्तीसगढ़ की उस समृद्ध परंपरा का प्रतीक है, जिसमें प्रकृति, खेती और लोकजीवन एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं।

संपादकीय

एक बड़ा उद्यम बना मिलावटखोरी

बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। यह शहर अपनी अंतरराष्ट्रीय पहचान स्थापित करने में सफल रहा है,लेकिन एक लंबे समय से ट्रैफिक जाम के लिए कुख्यात भी है। बीते दिनों यह इसलिए भी कुख्यात हुआ कि यहां के कई होटलों,रेस्त्रां,पब आदि में सड़ा-गला और बासी खाना पाया गया। ये प्रीमियम कहे जाने वाले नामी होटल, रेस्त्रां, पब हैं। फूड सेफ्टी विभाग ने कई होटलों,रेस्त्रां और पब में छापेमारी के दौरान दोयम दर्जे का जो खराब खाना पाया,वह अच्छी-खासी मात्रा में था। इसमें मांस, सब्जियां,तेल,बेकरी एवं डेरी उत्पाद आदि थे।

कुछ खाद्य सामग्री तो इतनी खराब थी कि उसे नष्ट करना पड़ा। जब नामी यानी महंगे होटलों,रेस्त्रां,पब में खराब और बासी खाद्य सामग्री का उपयोग किया जा रहा हो तो आम होटलों,रेस्त्रां और फुटपाथ किनारे की दुकानों में खाने-पीने की सामग्री की गुणवत्ता का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। ऐसे किसी निष्कर्ष पर पहुंचना खुद को धोखे में रखना होगा कि बेंगलुरु के होटलों,रेस्त्रां आदि में अस्वास्थ्यकर खाने-पीने की सामग्री मिलना एक अपवाद हो सकता है। प्रबल आसार यही है कि जैसी खराब खाद्य सामग्री बेंगलुरु के होटलों,रेस्त्रां, पब में मिली,वैसी ही देश के अन्य शहरों के ऐसे ही ठिकानों में मिल सकती है। ऐसा तभी होगा,जब इन ठिकानों पर खाद्य सामग्री की परख करने के लिए छापेमारी की जाएगी। अभी तो यह रस्मी तौर पर ही होती है।

खाने-पीने की सामग्री में मिलावटखोरी के मामले में बेंगलुरु जैसा हाल शेष देश में भी है,इसका अनुमान उन खबरों से लगाया जा सकता है, जो यह बताती हैं कि महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे ने मिलावटखोरी के अपने अभियान के दौरान बड़ी संख्या में होटल,रेस्त्रां,कैंटीन आदि सील किए। इसलिए किए,क्योंकि उनमें मिलावटी या घटिया खाने-पीने की सामग्री बन और बिक रही थी। किसी को यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि बेंगलुरु और महाराष्ट्र में एफडीए की कार्रवाई के बाद हालात सुधर जाएंगे।

ऐसा होने की संभावना इसलिए नहीं,क्योंकि देश में मिलावटी और दोयम दर्जे की खाद्य सामग्री के खिलाफ कभी-कभार ही अभियान छिड़ता है। ऐसे अभियान तो सतत चलने चाहिए,न कि शिकायत मिलने पर या फिर बड़े त्योहारों के पहले। बेंगलुरु और महाराष्ट्र के मामलों को छोड़ दिया जाए,तो अपने देश में एफडीए जैसे विभाग त्योहारों के पहले चेतते हैं। वे इन दिनों मिलावटी खाद्य सामग्री के खिलाफ जब अपना अभियान चलाते हैं तो उन्हें बड़ी मात्रा में घटिया या नकली मिठाई,खोया,दूध,पनीर आदि न जाने क्या-क्या मिलता है।

अब वह जमाना नहीं रहा कि कोई घर के बने खाने को शुद्ध बताकर संतुष्टि का आभास कर सके,क्योंकि इसका कोई ठिकाना नहीं कि बाजार में मिलने वाला पैकेटबंद-सीलबंद घी,तेल,दूध,पनीर,मसाला आदि शुद्ध ही हो। इन सबमें मिलावट की आशंका रहती है और प्रायः वह सही साबित होती है। ऐसे किसी नतीजे पर पहुंचने के अलावा और कोई उपाय नहीं कि देश में मिलावटखोरी एक बड़ा उद्यम बन गया है। पहले यह कुटीर उद्योग जैसा था, लेकिन पिछले कुछ समय में इसने एक बड़े उद्योग का रूप ले लिया है। क्या यह किसी से छिपा है कि नकली-घटिया घी,खाद्य तेल,पनीर, खोया,मसाले आदि बनाने वाली फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ होता ही रहता है? अब तो स्थिति यह है कि अपने देश में नकली या फिर घटिया दवाएं भी बड़ी मात्रा में बन और बिक रही हैं।

अंगदान की संस्कृति ही मानवता को नई दिशा दे सकती है...

ललित गर्ग
पटपड़गंज, नई दिल्ली

मनुष्य जीवनभर अपने लिए बहुत कुछ अर्जित करता है- धन,संपत्ति,प्रतिष्ठा, संबंध और सुविधाएँ। लेकिन जीवन की अंतिम घड़ी में इन सबका महत्व समाप्त हो जाता है। तब यदि हमारे शरीर का कोई अंग किसी दूसरे मनुष्य की धड़कन बन जाए,हमारी आँखें किसी अंधेरे जीवन में रोशनी भर दें,हमारा यकृत या गुर्दा किसी परिवार के बुझते चिराग को फिर से जला दे,तो इससे बड़ी जीवन-सार्थकता और क्या हो सकती है? अंगदान मृत्यु के बाद भी जीवन को जारी रखने की वह मानवीय संभावना है,जो मनुष्य को केवल अपने लिए जीने वाले प्राणी से उठाकर मानवता के लिए जीने वाला बना देती है। विश्व अंगदान दिवस हमें इसी महान विचार से जोड़ता है। आज आवश्यकता केवल अंगदान के बारे में जानकारी देने की नहीं,बल्कि हमारी सोच बदलने की है। हमें यह प्रश्न अपने आप से पूछना होगा कि जिस शरीर को मृत्यु के बाद पंचतत्व में विलीन होना है, उसके उपयोगी अंग यदि किसी दूसरे व्यक्ति को जीवन दे सकते हैं तो उन्हें अपने साथ मिट्टी में मिला देना अधिक सार्थक है या किसी की सांसों का हिस्सा बना देना? मृत्यु निश्चित है,लेकिन मृत्यु के बाद भी किसी के जीवन का कारण बनना हमारे हाथ में है।

प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

भारत की सांस्कृतिक स्मृति में शरीर और जीवन के महान त्याग की परंपरा बहुत पुरानी है। महर्षि दधीचि की कथा इसका सबसे प्रभावशाली उदाहरण है। पौराणिक परंपरा के अनुसार जब देवताओं को असुरों से संघर्ष के लिए ऐसे अस्त्र की आवश्यकता हुई जिसे दधीचि की अस्थियों से बनाया जा सके, तब महर्षि दधीचि ने लोककल्याण के लिए अपना शरीर ही त्याग दिया। उनकी अस्थियों से वज्र बनाया गया और उससे जनकल्याण की रक्षा हुई। यह कथा आधुनिक अर्थों में अंगदान की चिकित्सकीय प्रक्रिया नहीं है,लेकिन अपने शरीर को भी समाज और सृष्टि के कल्याण के लिए समर्पित कर देने की भारतीय त्याग-चेतना का अत्यंत शक्तिशाली प्रतीक अवश्य है। भारत के राष्ट्रपति सचिवालय ने भी अंग एवं देहदान की भारतीय परंपरा को समझाते हुए महर्षि दधीचि के इस प्रसंग का उल्लेख किया है। हमारी परंपरा में राजा शिवि की कथा भी त्याग और जीव-दया की अद्भुत मिसाल है। एक कबूतर की रक्षा के लिए उन्होंने अपने शरीर का मांस तक देने की तत्परता दिखाई। चाहे ये प्रसंग धार्मिक आख्यान हों,लेकिन इनके भीतर छिपा संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है-अपने जीवन और शरीर को केवल अपनी निजी संपत्ति न समझना, बल्कि उसे व्यापक जीवन के कल्याण से जोड़ना। जैन दर्शन का सूत्र परस्परोपग्रहो जीवानाम् भी यही बताता है कि जीव एक-दूसरे के उपकार के लिए हैं। अंगदान इस विचार का आधुनिक वैज्ञानिक रूप कहा जा सकता है।

आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने इस मानवीय भावना को वास्तविक जीवन बचाने की शक्ति प्रदान कर दी है। वर्ष 1954 में दुनिया का पहला सफल मानव किडनी प्रत्यारोपण हुआ। रोनाल्ड ली हेरिक ने अपनी एक किडनी अपने जुड़वां भाई रिचर्ड को दान की थी। यह घटना चिकित्सा इतिहास में एक ऐसी क्रांति की शुरुआत बनी, जिसने आगे चलकर अंग प्रत्यारोपण को लाखों लोगों के लिए जीवन की आशा बना दिया। इसके बाद 1967 में मानव हृदय प्रत्यारोपण की सफलता ने यह सिद्ध कर दिया कि चिकित्सा विज्ञान मनुष्य की मृत्यु और जीवन के बीच खड़ी कई दीवारों को तोड़ सकता है। भारत ने भी इस क्षेत्र में उल्लेखनीय यात्रा की है। देश में पहला सफल किडनी प्रत्यारोपण 1 दिसंबर 1971 को चेन्नई के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज,वेल्लोर में हुआ था। उस समय शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि एक दिन भारत में हजारों लोगों के लिए अंग प्रत्यारोपण जीवन का नया द्वार बनेगा। आज चिकित्सा तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है कि किडनी,लिवर,हृदय,फेफड़े,अग्न्याशय और आंत जैसे अंगों के साथ कॉर्निया, त्वचा, हड्डी और हृदय वाल्व जैसे ऊतकों का भी प्रत्यारोपण संभव है।

लेकिन विज्ञान की क्षमता जितनी बढ़ी है,हमारी सामाजिक चेतना उस गति से नहीं बढ़ पाई। यही सबसे बड़ी चुनौती है। भारत में आज भी प्रत्यारोपण की आवश्यकता और उपलब्ध अंगों के बीच बड़ा अंतर है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2024 में देश में अंग प्रत्यारोपण की गतिविधि व्यापक रही, लेकिन मृतक दाताओं की संख्या अभी भी आवश्यकता की तुलना में बहुत कम है। इसका अर्थ साफ है-हमारे अस्पतालों में तकनीक है,डॉक्टर हैं,सर्जरी की क्षमता है,लेकिन जीवन बचाने के लिए पर्याप्त अंग नहीं हैं। इस स्थिति को बदलने के लिए हमें अंगदान को मृत्यु की चर्चा नहीं, जीवन की चर्चा बनाना होगा। परिवारों में इस विषय पर समय रहते बातचीत होनी चाहिए। स्कूलों,विश्व विद्यालयों,धार्मिक संस्थाओं,सामाजिक संगठनों और मीडिया को मिलकर ऐसी वातावरण-निर्मिति करनी होगी जिसमें अंगदान सुनते ही भय नहीं,बल्कि करुणा और जीवन बचाने का भाव पैदा हो।

आज भी अनेक लोग सोचते हैं कि मृत्यु के बाद शरीर को क्षति पहुँचाना धर्म के विरुद्ध है। कुछ लोगों को अगले जन्म की चिंता होती है,कुछ को शरीर के साथ होने वाली चिकित्सा प्रक्रिया का भय होता है और कुछ परिवार अंतिम समय में मानसिक रूप से इतने टूट जाते हैं कि अंगदान का निर्णय नहीं ले पाते। इन भ्रमों का समाधान टकराव से नहीं,संवाद, संवेदना और वैज्ञानिक जानकारी से होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझनी होगी कि अंगदान किसी पर थोपा जाने वाला धार्मिक या सामाजिक कर्तव्य नहीं है। यह एक स्वैच्छिक, नैतिक और मानवीय निर्णय है,जिसे व्यक्ति को विश्वसनीय चिकित्सा एवं कानूनी जानकारी के आधार पर लेना चाहिए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से यह संकल्प करता है कि मृत्यु के बाद उसके उपयोगी अंग किसी जरूरतमंद को मिलें, तो वह अपने जीवन की अंतिम घड़ी को भी मानवता के उत्सव में बदल सकता है।

भारत में अंगदान की प्रेरक घटनाएँ लगातार सामने आ रही हैं। हाल ही में नागपुर में 52 वर्षीय शिक्षक कोंडबा दत्तात्रेय मडावी मृतक अंगदान करने वाले 200वें दाता बने,उनके अंगों से तीन लोगों को नया जीवन मिला। ऐसी घटनाएँ हमें बताती हैं कि अंगदान कोई दूर की आदर्शवादी कल्पना नहीं, बल्कि हमारे आसपास घटने वाली वास्तविक जीवन-बचाने वाली प्रक्रिया है। दिल्ली में 70 वर्षीय मृत महिला के गुर्दों का सफल उपयोग कर एक 56 वर्षीय महिला को जीवन की नई उम्मीद मिली-यह घटना यह भी बताती है कि केवल उम्र के आधार पर किसी संभावित दाता के अंगों को अनुपयोगी मान लेना उचित नहीं है, अंतिम निर्णय चिकित्सा स्थिति पर निर्भर करता है। भारत के कुछ राज्यों ने इस दिशा में उल्लेखनीय उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। तेलंगाना में 2024 में मृतक अंगदान की दर राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक रही और उसके 'जीवदान' कार्यक्रम के माध्यम से हजारों प्रत्यारोपण संभव हुए। तमिलनाडु में भी मृतक अंगदान की व्यवस्था ने अनेक परिवारों को प्रेरित किया हैय 2026 में एक परिवार ने भाषा की बाधा के बावजूद डिजिटल अनुवाद की मदद से अपने प्रियजन के अंगदान का निर्णय लिया और अनेक मरीजों को जीवन मिला। ये घटनाएँ बताती हैं कि जहाँ संवेदना,व्यवस्था और जागरूकता मिलती हैं,वहाँ मृत्यु भी कई जीवनों को बचाने का माध्यम बन सकती है।

अंगदान की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यह रक्तदान से भी आगे की परोपकार-चेतना है। रक्तदान में हम अपने शरीर की ऐसी चीज देते हैं जिसे शरीर फिर बना लेता है,अंगदान में हम मृत्यु के बाद ऐसी अमूल्य संपदा देते हैं जिसका उपयोग किसी दूसरे शरीर को जीवन देने के लिए हो सकता है। इसलिए अंगदान को केवल चिकित्सा की भाषा में नहीं,मानवीय रिश्तों और करुणा की भाषा में समझना होगा। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि किसी एक दाता का निर्णय कई लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकता है। इसलिए अंगदान केवल एक व्यक्ति की मदद नहीं,बल्कि कई परिवारों में आशा का संचार है। किसी की आँखों में रोशनी,किसी की छाती में धड़कता हृदय,किसी की सांसों में फेफड़ों की शक्ति और किसी के शरीर में काम करता हुआ नया अंग-यह सब किसी अनजान व्यक्ति की उदारता का परिणाम हो सकता है।

इसलिए अंगदान को मृत्यु के बाद शरीर का अंत मानने वाली सोच से बाहर निकालकर मृत्यु के बाद भी जीवन देने की अवधारणा से जोड़ना होगा। मृत्यु अंधेरा है,लेकिन अंगदान उस अंधेरे में जलाया गया दीपक है। एक दीपक स्वयं जलता है,लेकिन उसका प्रकाश दूसरों को दिखाई देता है। इसी तरह दाता संसार से चला जाता है,लेकिन उसके अंग किसी और की सांस,धड़कन या दृष्टि बनकर जीवन को रोशन करते रहते हैं। हमारी सबसे बड़ी संपत्ति वह नहीं जो बैंक में जमा है,न वह जो तिजोरी में बंद है और न वह जो हमारे नाम पर दर्ज है। हमारी सबसे बड़ी संपत्ति वह है जिसका उपयोग हमारे बाद भी किसी जीवन को बचाने में हो सके।

इस विश्व अंगदान दिवस पर हमें केवल यह संकल्प नहीं लेना चाहिए कि अंगदान करेंगे,बल्कि इससे एक कदम आगे बढ़कर यह संकल्प लेना चाहिए कि अंगदान के बारे में अपने परिवार से बात करेंगे,भ्रम दूर करेंगे और समाज में जीवन बचाने वाली इस चेतना को फैलाएँगे। क्योंकि जीवन का अंतिम अध्याय मृत्यु नहीं होना चाहिए। वह किसी दूसरे के जीवन की नई शुरुआत भी बन सकता है। आइए अपने जीवन की अंतिम विरासत मानवता के नाम करें। अंगदान का दीप जलाएँ, ताकि किसी की बुझती जिंदगी में उजाला हो। अपनी मृत्यु को किसी दूसरे की जिंदगी का कारण बनाएँ- क्योंकि इससे सुंदर मृत्यु और इससे सार्थक जीवन शायद ही कोई हो।

शरीर चला जाए,
पर उसकी करुणा जीवित रहे।
सांसें रुक जाएं,पर किसी
और की सांसें चलती रहें।
यही अंगदान है,
यही मानवता का महादान है।

गड्ढों,खुले मैनहोल और टूटी सड़कों के बीच जीवन:नागरिक कब सुरक्षित होंगे?

डॉ. प्रियंका सौरभ
हिसार,हरियाणा

मृत्यु कब,कहाँ और कैसे आएगी, यह अज्ञात है। हमारे जीवन में,जो सामान्य सी बात लगती है,वैसे ही कई ऐसे खतरे बढ़ते जा रहे हैं जो असाधारण प्रतीत होते हैं। सड़कों पर अनगिनत गड्ढे हैं,सड़कें और गलियाँ उबड़-खाबड़ हैं, नालियाँ खुली नहीं हैं,सीवर के मैनहोल खुले नहीं हैं,कई जगहों पर सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त हैं। कुछ इलाकों में स्कूलों की छतें बच्चों पर गिर जाती हैं,तो कुछ इलाकों में अस्पतालों की छतें या स्लैब मरीजों और कर्मचारियों पर गिर जाते हैं। स्कूल बसें पलट जाती हैं,सड़क के विपरीत दिशा से आ रही गाड़ियाँ अचानक मुड़ जाती हैं और गली बच्चों के लिए मौत का जाल बन जाती है, जानवर गली में इधर-उधर घूमते रहते हैं और बुजुर्ग राहगीरों को परेशान करते हैं, और भारी बारिश के बाद बच्चे एक आम सड़क पर फंस जाते हैं और वह मौत का इलाका बन जाती है।

रोहतक में लगभग छह इंच बारिश के बाद जलभराव में डूबने से आठ साल के बच्चे की मौत ने एक बार फिर एक चिंताजनक सवाल खड़ा कर दिया है: एक नागरिक के जीवन का क्या मूल्य है? मानसून का मौसम साल में एक बार आता है। हर साल शहरों में जलभराव होता है। जल निकासी और सीवरेज व्यवस्था,नालियां और सड़कें हर साल समस्या बनी रहती हैं। अधिकारी कहते हैं कि वे तैयार हैं और हर साल सुधार किए जाते हैं। हालांकि, कुछ ही घंटों की बारिश इन दावों की सच्चाई को उजागर करने के लिए काफी होती है,क्योंकि प्रशासन प्रबंधन में विफल रहता है और बारिश का पानी सड़कों पर बह जाता है। यह सिर्फ एक बच्चे की मौत का मामला नहीं है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जहां रोकी जा सकने वाली त्रासदी को अक्सर एक दुर्घटना,एक महज़ संयोग,भाग्य मानकर नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है, और दोष कहीं और डाल दिया जाता है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जहां रोकी जा सकने वाली त्रासदी को अक्सर यह एक दुर्घटना थी,यह हमारी गलती नहीं थी,या हम और क्या कर सकते थे? कहकर टाल दिया जाता है।

नागरिक बुनियादी ढांचे की विफलता मात्र ही नहीं है,बल्कि यह जिस तरह से विफल हो रहा है वह बेहद चिंताजनक है। बदलाव यह आया है कि नागरिक अब विफलता को स्वाभाविक मान चुके हैं। सड़क में गड्ढा है और लोग कहते हैं कि यह हमेशा से यहीं था। फुटपाथ में गड्ढा है और लोग कहते हैं,सावधान रहें। जलभराव है और लोग कहते हैं,बारिश के बाद ऐसा ही होता है। मवेशी सड़क पर भटक रहे हैं और लोग कहते हैं, कोई क्या कर सकता है? स्कूल की इमारत स्पष्ट रूप से असुरक्षित है और लोग सोचते हैं कि अधिकारियों को इस पर ध्यान देना चाहिए। यह एक सरकारी अस्पताल है जिसकी हालत खराब है और लोग कहते हैं,सरकारी अस्पतालों का यही हाल होता है। यह रवैया खतरनाक है क्योंकि यह सामान्य बात और जीवनशैली बन जाता है। यदि नागरिक जोखिम को अपने जीवन का सामान्य हिस्सा मानने लगें,तो प्रशासन पर सुधार का दबाव भी कम हो जाता है। हमें किसी भी रोकी जा सकने वाली त्रासदी को दुर्घटना मानकर बंद करना होगा। जब कई महीनों से सड़क पर मौजूद गड्ढे के कारण लोगों की मृत्यु हो जाती है,तो सवाल सिर्फ यह नहीं उठता कि क्या हुआ,बल्कि यह भी उठता है कि सड़क पर खतरा क्यों बना रहा? यदि अधिकारियों को खुले मैनहोल की जानकारी है और वे उसे सुरक्षित करने के लिए कदम नहीं उठाते हैं,और कोई बच्चा गड्ढे में गिर जाता है,तो इसे दुर्भाग्य कहना उचित नहीं होगा। स्कूल भवन का अनावश्यक रूप से गिर जाना सिर्फ एक बुरी घटना नहीं मानी जानी चाहिए। यह बात अस्पताल की सुरक्षा,स्कूल बसों की स्थिति,पुलों के रखरखाव,जल निकासी व्यवस्था और सड़क की गुणवत्ता के साथ-साथ स्कूलों में आवारा पशुओं के नियंत्रण पर भी लागू होती है। ये प्रशासनिक मामले नहीं हैं, बल्कि ये जन सुरक्षा और लोगों के जीवन से जुड़े मामले हैं।

लेकिन हमारे सार्वजनिक विमर्श की त्रासदी यह है कि हम बार-बार इन वास्तविक प्रश्नों से मुंह मोड़ लेते हैं। धार्मिक संदर्भ वाला कोई भी बयान समाज में आक्रोश पैदा कर सकता है। इसका परिणाम हजारों सोशल मीडिया पोस्ट,घंटों टीवी स्टूडियो बहस और राजनीतिक बयानबाजी के रूप में सामने आता है। आहत भावनाओं, पहचान और राष्ट्रीय सम्मान से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होती है। हालांकि,ऐसे बच्चे की मौत के लिए जवाबदेही को लेकर जनता का निरंतर आक्रोश गायब है। क्यों? क्या धार्मिक विवाद होने पर एक आम आदमी के जीवन का महत्व कम हो जाता है? क्या खुले सीवर में बच्चे का डूबना स्थानीय खबर है? क्या किसी असुरक्षित सड़क पर किसान,मजदूर, बुजुर्ग या छात्र की मौत महज़ दुर्भाग्य की बात है? क्या ऐसा लगता है कि सरकार से जवाब मांगने के मामले में देश को चुनौती देना उनकी मांगों का जवाब देने के लिए मजबूर कर रहा है?

बिलकुल नहीं। सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है। लोग कर अदा करते हैं और सुरक्षित सड़कें,स्वच्छ शहर, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा,सुरक्षित स्कूल,प्रभावी परिवहन और बुनियादी नागरिक अवसंरचना की अपेक्षा रखते हैं। ये विलासिता नहीं हैं। ये गरिमापूर्ण जीवन के लिए आवश्यक मूलभूत कारक हैं। देशभक्ति सरकार की किसी भी गलती को छुपाने का बहाना नहीं है। राष्ट्रवाद का अर्थ यह नहीं है कि देश की कमियों को उजागर करने वाले सभी लोगों को राष्ट्र-विरोधी करार दिया जाए। एक जिम्मेदार नागरिक वह है जो देश की प्रगति देखना चाहता है और इसलिए कठिन प्रश्न उठाता है। टूटी हुई सड़क की मरम्मत की मांग न करना राष्ट्र-विरोधी नहीं है। असुरक्षित स्कूल को सुरक्षित बनाने की मांग करना राष्ट्र का अपमान नहीं है। अस्पताल की सुरक्षा पर सवाल न उठाना व्यवस्था विरोधी नहीं है। भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही की कोई भी आलोचना विदेशी साजिश का सबूत नहीं है।

दुर्भाग्य से, नागरिक मामलों से जुड़े गंभीर मुद्दे राजनीतिक खेमों में बँटते जा रहे हैं। सरकार की प्रशंसा को देशभक्ति कहा जाता है और किसी भी आलोचना को विपक्ष या नकारात्मक आवाज़ करार दिया जाता है। नकारात्मकता लोकतंत्र के लिए खतरा है क्योंकि इससे आलोचना और जवाबदेही की कमी पैदा होती है,जो सुशासन के लिए आवश्यक तत्व हैं। मीडिया की भी इसमें बड़ी भूमिका है। यह केवल सफलताओं का जश्न मनाने का मंच नहीं है,बल्कि इसे उन क्षेत्रों की भी पड़ताल करनी चाहिए जिनमें सरकारी कुप्रबंधन के कारण आम नागरिक पीड़ित हैं। हम सभी जानते हैं कि टेलीविजन चैनल राजनीतिक बहसों पर कितना समय देते हैं,वे सड़क सुरक्षा,जल निकासी व्यवस्था की विफलता,स्कूल के बुनियादी ढांचे, अस्पताल भवनों और नागरिक सेवाओं जैसी अन्य चीजों पर भी सार्थक समय दे सकते हैं। किसी शहर का असली स्वरूप विज्ञापनों या आधिकारिक बयानों में नहीं दिखता। बारिश होने पर यह उसकी सड़कों पर नज़र आता है।

केवल भवन निर्माण ही विकास नहीं है। रखरखाव भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सड़क निर्माण ही पर्याप्त नहीं है; सड़क की सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है। पुल का निर्माण ही काफी नहीं है;नियमित निरीक्षण भी जरूरी है। नाली का निर्माण महत्वपूर्ण है,लेकिन उसकी सफाई और सुरक्षा भी आवश्यक है। स्कूलों का निर्माण ही पर्याप्त नहीं है; स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा भी जरूरी है। हम दुर्घटनाओं को पूरी तरह से रोक नहीं सकते,लेकिन लापरवाही के कारण होने वाली कई त्रासदियों को टाला जा सकता है। इसके लिए जवाबदेही तय करना जरूरी है। सड़क की मरम्मत आखिरी बार कब हुई थी? गड्ढा कब बना था? मैनहोल खुला क्यों था? जल निकासी व्यवस्था में खराबी का क्या कारण था?

भारत समेत दुनिया भर में अदृश्य संबल से आर्थिक क्रांति तक पहुँचा केयरगिविंग

दुर्गेश्वर राय,गोरखपुर,उत्तर प्रदेश

सभ्यता के आरम्भ से ही मनुष्य एक-दूसरे पर आश्रित रहा है। जीवन के शुरुआती दौर में शिशु की सुरक्षा से लेकर वृद्धावस्था में जर्जर शरीर को संबल देने तक, देखभाल का मानवीय स्वभाव ही समाज की निरंतरता का सबसे बड़ा स्तंभ रहा है। परंतु सदियों तक स्नेह,त्याग और नैतिक उत्तरदायित्व के आवरण में लिपटा यह कार्य आधुनिक अर्थशास्त्र की मुख्यधारा से बाहर ही रहा। केयरगिविंग यानी देखभालकर्ताओं की यह संकल्पना मूल रूप से मानव विज्ञान,समाजशास्त्र और स्त्रीवादी अर्थशास्त्र के संगम से उपजी है। औद्योगिक क्रांति के बाद जब काम का विभाजन घर और बाहर की सीमाओं में हुआ,तो उत्पादक कार्य केवल उसे माना गया जिसके बदले सीधे तौर पर धन का लेन-देन होता था। इसके विपरीत,घर की चारदीवारी के भीतर बच्चों,बुजुर्गों, बीमारों और दिव्यांगों की देखभाल को प्राकृतिक दायित्व मानकर आर्थिक गणनाओं से बाहर कर दिया गया। बीसवीं सदी के उत्तरार्ध में जब श्रमबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी और परिवार का पारंपरिक ढांचा बदला,तब अर्थ शास्त्रियों ने यह पहचानना शुरू किया कि यदि घर में देखभाल का अदृश्य आधार न हो,तो मुख्य धारा का कोई भी उत्पादक कार्य संभव ही नहीं हो सकता। यहीं से केयर इकॉनमी और औपचारिक केयरगिवर्स की संकल्पना को एक पृथक और अत्यंत महत्वपूर्ण आर्थिक-सामाजिक क्षेत्र के रूप में मान्यता मिली।

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में केयरगिविंग एक गंभीर जन सांख्यिकीय और आर्थिक चुनौती के रूप में उभर कर सामने आया है। दुनिया भर में अभूतपूर्व जन सांख्यिकीय बदलाव हो रहे हैं। एक तरफ जहाँ चिकित्सा विज्ञान की प्रगति से औसत जीवन प्रत्याशा बढ़ी है,वहीं दूसरी तरफ जन्म दर में गिरावट आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार,विश्व की जनसंख्या तेजी से बुजुर्ग हो रही है। यूरोप,जापान,दक्षिण कोरिया और अमेरिका जैसे विकसित देश इस समय केयर क्राइसिस यानी देखभाल के गंभीर संकट से जूझ रहे हैं,जहाँ देखभाल करने वालों की भारी कमी हो चुकी है। इस समय वैश्विक स्तर पर अधिकांश देखभाल का बोझ अब भी अवैतनिक केयरगिवर्स,विशेषकर महिलाओं और लड़कियों के कंधों पर है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, दुनिया भर में रोजाना लगभग 16 अरब घंटे का अवैतनिक देखभाल कार्य किया जाता है,जो यदि किसी न्यूनतम मजदूरी पर आंका जाए तो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 10 प्रतिशत से अधिक के बराबर होगा। इस भारी-भरकम बोझ के कारण करोड़ों महिलाएं औपचारिक रोजगार,उच्च शिक्षा और राजनीतिक भागीदारी से वंचित रह जाती हैं। वहीं दूसरी ओर, वैतनिक केयर गिवर्स जैसे नर्स,आया,ओल्ड-एज होम वर्कर और होम-केयर अटेंडेंट की स्थिति भी बहुत संतोषजनक नहीं है। इस क्षेत्र को अक्सर कम वेतन,सामाजिक सुरक्षा के अभाव, अनौपचारिक कार्य परिस्थितियों और सम्मान की कमी से जोड़कर देखा जाता है।

इसी वैश्विक और राष्ट्रीय परिदृश्य की पृष्ठभूमि में भारत के नीति आयोग द्वारा जारी विस्तृत रिपोर्ट रीइमेजिनिंग केयर : स्ट्रैटेजीज फॉर एम्पावरिंग केयरगिवर्स इन विकसित भारत 2047,एक युगांतरकारी रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट समस्याओं को सूचीबद्ध करने के साथ ही वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में केयरगिविंग को एक प्रमुख आर्थिक और सामाजिक इंजन के रूप में पुनर्परिभाषित करती है। भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश में जहाँ पारिवारिक संरचनाएं तेजी से संयुक्त से एकल परिवार में बदल रही हैं और महिलाओं की श्रमबल में भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है,वहाँ यह रिपोर्ट अत्यंत प्रासंगिक हो जाती है। नीति आयोग की यह रिपोर्ट मुख्य रूप से दोहरे दृष्टिकोण पर आधारित है। पहला, देश के भीतर एक मजबूत,सुलभ और गुणवत्तापूर्ण देखभाल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना,और दूसरा, भारत को दुनिया भर के लिए एक प्रशिक्षित और कुशल केयरगिवर्स का वैश्विक आपूर्ति केंद्र बनाना। नीति आयोग की इस रिपोर्ट का पहला महत्वपूर्ण पक्ष भारत के भीतर मौजूदा देखभाल प्रणाली का औपचारिक और मानकीकृत ढांचा तैयार करना है। वर्तमान में भारत में केयरगिविंग का अधिकांश क्षेत्र असंगठित और अनियमित है।

शहर कभी नहीं सोता,लेकिन उसकी कीमत कौन चुकाता है...

शहर की जागती आँखों के पीछे
कितनी थकी आँखें हैं...
रात के हिस्से का सुकून भी
शहर ने अपने नाम कर लिया...

प्रो.आरके जैन अरिजीत,बड़वानी,मध्यप्रदेश

रात अब घड़ी में आती है,शहर में नहीं। घड़ी बारह बजने का ऐलान करती है,लेकिन शहर का दिन आगे बढ़ता रहता है। बाजार खुले हैं,स्क्रीन चमक रही हैं, वाहन दौड़ रहे हैं और मशीनें अगली पाली में जा चुकी हैं। कभी अँधेरा शरीर को विश्राम का संकेत देता था; अब रोशनी जागते रहने का आदेश देती है। चौबीस घंटे सक्रिय रहना हमने आधुनिकता का प्रमाण मान लिया, लेकिन इसकी कीमत मनुष्य की नींद चुका रही है। सूरज की जगह बिजली को समय का संकेतक बना लिया,पर शरीर की जैविक घड़ी को नहीं बदल सके। वह आज भी उजाले में जागती और अँधेरे में विश्राम माँगती है। शहर भले रात को पराजित माने, शरीर अब भी उसे अपनी जरूरत मानता है।

शहर की यह अनिद्रा किसी एक आविष्कार की देन नहीं। वैश्वीकरण ने अलग-अलग समय क्षेत्रों को जोड़ा,डिजिटल अर्थव्यवस्था ने काम को चौबीस घंटे उपलब्ध कर दिया और उपभोक्ता संस्कृति ने रात को भी बाजार बना दिया। कारखाने मांग के लिए चलते हैं;कॉल सेंटर दूसरे देशों की सुबह के लिए जागते हैं। अस्पताल,हवाई अड्डे, परिवहन और सुरक्षा सेवाएँ भी रात को नहीं थम सकतीं। समस्या इन सेवाओं में नहीं, उस मानसिकता में है जिसने शहर को कभी न थकने वाली मशीन मान लिया है। धीरे-धीरे नींद अधिकार नहीं, विलासिता बन रही है–जिसके पास साधन हैं, वह आराम करता है; बाकी अपनी नींद बेचकर व्यवस्था चलाते हैं।

इस निरंतर जागरण की पहली चोट मनुष्य की आंतरिक जैविक घड़ी पर पड़ती है। शरीर की यह घड़ी सूर्य के उदय और अस्त के साथ बनी थी, लेकिन कृत्रिम रोशनी,स्क्रीन और देर रात तक चलती गतिविधियों ने उसे भ्रमित कर दिया है। नींद की कमी का अर्थ केवल सुबह की थकान नहीं है। स्मृति कमजोर होती है, निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है,भावनात्मक संतुलन बिगड़ता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी घटती है। इससे एक दूसरा संकट पैदा होता है–भीड़ के बीच अकेलेपन का। रात का शहर बाहर से जितना जीवंत दिखाई देता है, भीतर से उतना ही खाली हो सकता है। रोशनी बढ़ती जाती है,आवाजें बढ़ती जाती हैं, लेकिन मनुष्य की आंतरिक शांति घटती जाती है।

फिर भी हम इस सामूहिक थकान को प्रगति और दक्षता कहते हैं। तर्क है कि दुनिया नहीं सोती, इसलिए हमें भी नहीं सोना चाहिए। लेकिन प्रकृति का कोई चक्र चौबीस घंटे सक्रिय नहीं रहता। दिन के बाद रात, जागरण के बाद नींद और श्रम के बाद विश्राम आता है। तकनीक के सहारे मनुष्य ने भ्रम पाल लिया कि वह प्रकृति के नियमों से स्वतंत्र है–समय को नियंत्रित किया जा सकता है,थकान को नकारा जा सकता है और शरीर की सीमाएँ अनंत तक खींची जा सकती हैं। शहर की अनिद्रा इसी अहंकार की अभिव्यक्ति है। प्रकृति से संघर्ष में मनुष्य जीतता दिख सकता है,लेकिन कीमत अंततः शरीर और मन को चुकानी पड़ती है।

इस व्यवस्था का सबसे भारी बोझ उन अदृश्य श्रमिकों पर पड़ता है जिनकी जागी हुई रात दूसरों की सुरक्षित नींद बनाती है। सुरक्षा गार्ड रात भर पहरा देता है, नर्स अस्पताल में जागती है,सफाई कर्मचारी शहर को सुबह के लिए तैयार करता है, ट्रक चालक माल पहुँचाता है और रेस्तरां कर्मचारी उस समय काम करता है जब बाकी लोग आराम कर रहे होते हैं। उनकी रात दूसरों के दिन को संभव बनाती है। फिर भी समाज उनकी थकान को सामान्य मानकर आगे बढ़ जाता है। इस तरह शहर की चमक एक गहरी असमानता पर टिकी है–कुछ लोगों के पास रात में सोने का अधिकार है, जबकि अनेक लोग अपनी नींद को मजदूरी में बदलकर शहर की चौबीस घंटे चलने वाली अर्थव्यवस्था को ईंधन देते हैं।

तकनीक ने अब इस अनिद्रा को सड़कों और कार्यस्थलों से उठाकर हमारे घरों और बिस्तरों तक पहुँचा दिया है। स्मार्टफोन, इंटरनेट, समाचार, संदेश और चौबीस घंटे उपलब्ध मनोरंजन ने रात को निजी जीवन की आखिरी सीमा से भी बाहर कर दिया है। आदमी बिस्तर पर लेटा है,लेकिन उसका मन लगातार किसी स्क्रीन पर दौड़ रहा है। नींद का समय विश्राम के बजाय एक और उत्पादक या मनोरंजक घंटे में बदल गया है।

सूचना
समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।
सम्पादक

किसी ने जल भराव का सांसद के पास भेजा वीडिया,कलेक्टर ने किया निरीक्षण

लुचकी घाट से खरसिया नाका और गांधी चौक से रेलवे स्टेशन तक बनेगी सीसी रोड,जल निकासी की भी होगी व्यवस्था

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,12 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

भारत माता चौक से दरिमा मोड़ तक सडक़ की जर्जर स्थिति और जलभराव का वीडियो आम नागरिकों ने सांसद चिंतामणि महाराज को भेजा था। सांसद ने दिल्ली में संसद सत्र में रहते हुए वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा किया और सरगुजा कलेक्टर व एनएच अधिकारियों को सडक़ का निरीक्षण कर शीघ्र मरम्मत के निर्देश दिए थे। इसके बाद कलेक्टर ने मौके का निरीक्षण किया।

बुधवार को कलेक्टर अजीत वसंत ने खरसिया नाका चौक पहुंचकर जलभराव की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों से प्रस्तावित सडक़ निर्माण की प्रगति की जानकारी ली और जल्द काम शुरू कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि केवल सडक़ बनाने से समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा, इसलिए जल निकासी की समुचित व्यवस्था भी साथ में की जाए।

कलेक्टर ने अंबिकापुर एसडीएम को जल निकासी के लिए शासकीय भूमि का सर्वे कराने के निर्देश दिए। साथ ही जल संसाधन विभाग की नहर और आसपास के क्षेत्रों में अतिक्रमण की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। जलभराव वाले स्थानों का तकनीकी परीक्षण कर प्रभावी ड्रेनेज के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश भी दिए गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्यपालन अभियंता आरडी ताम्रे ने बताया कि लुचकी घाट से खरसिया नाका चौक तक और गांधी चौक से रेलवे स्टेशन तक सीसी रोड बनाई जाएगी। सडक़ निर्माण के साथ बारिश के पानी की निकासी के लिए आवश्यक कार्य भी किए जाएंगे।

सीसी रोड निर्माण की तैयारी पूरी : बारिश होते ही जलभराव से जूझने वाले खरसिया नाका क्षेत्र की समस्या दूर करने के लिए अब सडक़ निर्माण के साथ जल निकासी की व्यवस्था की जाएगी। लुचकी घाट से खरसिया नाका चौक तक तथा गांधी चौक से रेलवे स्टेशन तक सीसी रोड निर्माण की तैयारी पूरी हो चुकी है। निर्माण कार्य की निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और ठेका अंबिकापुर के मेसर्स जवाहरलाल गुप्ता को मिला है।

तकनीकी मानकों के अनुसार निर्माण के निर्देश

कलेक्टर ने अधिकारियों को सडक़ और जल निकासी के कार्य निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण तरीके से कराने तथा निर्माण की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अपर कलेक्टर सुनील नायक,एसडीएम बनसिंह नेताम,एनएच एसडीओ निखिल लकड़ा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

कैंप से लापता हुआ बीएसएफ जवान,दो दिन बाद मिला शव

असम में तैनात कमलेश केरकेट्टा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत,गृहग्राम में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम संस्कार

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,12 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

असम में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की 66वीं बटालियन में तैनात सरगुजा के जवान कमलेश केरकेट्टा (36) की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वे बतौली विकासखंड के ग्राम पंचायत कपाटबाहरी निवासी थे। जवान का शव कैंप से लापता होने के करीब दो दिन बाद बरामद किया गया। मौत के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है। मामले की जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार,कमलेश केरकेट्टा वर्ष 2012-13 से बीएसएफ की 66वीं बटालियन में पदस्थ थे। वर्तमान में उनकी तैनाती असम के धुबरी जिले के क्रिस्तापाड़ा क्षेत्र में थी। बताया जा रहा है कि गुरुवार रात करीब 12 बजे उनके कंपनी कैंप से लापता होने की जानकारी मिली। इसके बाद अधिकारियों ने उनकी तलाश शुरू कर दी। शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे कंपनी कमांडर ने जवान की पत्नी ममता केरकेट्टा को फोन कर घटना की जानकारी दी। इसके बाद जवान की तलाश जारी रही। शनिवार रात तक कैंप में वापस नहीं लौटने पर तलाश और तेज की गई। इसी दौरान रात करीब 1 बजे जवान का शव बरामद किया गया। जवान की मौत किन परिस्थितियों में हुई,यह फिलहाल स्पष्ट नहीं है। बीएसएफ स्तर पर घटना की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही मौत के वास्तविक कारण सामने आने की उम्मीद है। मंगलवार को जवान का पार्थिव शरीर उनके गृहग्राम कपाटबाहरी पहुंचा। बीएसएफ के अधिकारियों और जवानों ने सैन्य सम्मान के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद जवान का अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम विदाई के दौरान बड़ी संख्या में परिजन, ग्रामीण और क्षेत्र के लोग मौजूद रहे। कमलेश केरकेट्टा की मौत की खबर से बतौली क्षेत्र में शोक की लहर है। ग्रामीणों ने जवान को श्रद्धांजलि देते हुए परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। वहीं, संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को लेकर क्षेत्रवासियों की नजर जांच के निष्कर्ष पर है।

नशे के खिलाफ सरगुजा में जनजागरण की बड़ी पहल...ब्रह्माकुमारीज के अभियान को मिला व्यापक समर्थन,छह दिनों में 63 हजार लोगों ने ली नशामुक्ति की प्रतिज्ञा

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,12 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

नशे की बढ़ती प्रवृत्ति के खिलाफ समाज में जागरूकता और सकारात्मक बदलाव लाने के उद्देश्य से प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा चलाया जा रहा राष्ट्रव्यापी '10 करोड़ नशामुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान'सरगुजा संभाग में जनअभियान का रूप लेता दिखाई दे रहा है। संस्थान की पूर्व मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाशमणि जी की पुण्य स्मृति में आयोजित यह अभियान 6 अगस्त से प्रारंभ हुआ है, जो 20 अगस्त तक जारी रहेगा। अभियान के शुरुआती छह दिनों में ही संभाग के विभिन्न क्षेत्रों में करीब 63 हजार लोगों ने नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा लेकर इस मुहिम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है।

स्कूल-कॉलेजों से लेकर आम नागरिकों तक पहुंचा संदेश

ब्रह्माकुमारीज द्वारा अभियान के तहत सरगुजा संभाग के विभिन्न विद्यालयों,महाविद्यालयों,शैक्षणिक संस्थानों, सामाजिक संस्थाओं और अन्य स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं,युवाओं और आम नागरिकों ने सहभागिता की। प्रतिज्ञा कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को नशा नहीं करने के साथ ही अपने परिवार,मित्रों और आसपास के लोगों को भी नशे से दूर रखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। विशेष रूप से युवाओं को अभियान से जोड़कर नशे के खिलाफ सकारात्मक वातावरण तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है।

नशे के शारीरिक और सामाजिक दुष्परिणाम बताए : अभियान के दौरान ब्रह्माकुमारीज के वक्ताओं ने कहा कि नशा केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को ही प्रभावित नहीं करता,बल्कि इसका असर पूरे परिवार और समाज पर पड़ता है। नशे की लत से व्यक्ति की शारीरिक एवं मानसिक क्षमता प्रभावित होने के साथ आर्थिक स्थिति, पारिवारिक संबंध और सामाजिक प्रतिष्ठा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कार्यक्रमों में युवाओं को नशे से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करते हुए स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और अपनी ऊर्जा को शिक्षा,रोजगार,खेल,सामाजिक सेवा तथा रचनात्मक गतिविधियों में लगाने के लिए प्रेरित किया गया।

राजयोग और आध्यात्मिक सशक्तिकरण पर जोर : ब्रह्माकुमारीज द्वारा नशामुक्ति के लिए केवल जागरूकता तक सीमित न रहकर व्यक्ति के मानसिक एवं आध्यात्मिक सशक्तिकरण पर भी जोर दिया जा रहा है। कार्यक्रमों में राजयोग ध्यान के माध्यम से मन को शांत एवं सकारात्मक रखने तथा आत्मविश्वास बढ़ाने की विधियों की जानकारी दी जा रही है। संस्था का मानना है कि नशे की आदत से बाहर निकलने के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति, सकारात्मक सोच और परिवार एवं समाज का सहयोग महत्वपूर्ण है। इसी उद्देश्य से लोगों को आध्यात्मिक मूल्यों और सकारात्मक जीवनशैली से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

छह दिनों में 63 हजार लोगों का संकल्प : संस्था की सरगुजा संभाग प्रभारी बीके विद्या बहन ने बताया कि अभियान को संभाग में लोगों का उत्साहजनक समर्थन मिल रहा है। शुरुआती छह दिनों में ही विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लगभग 63 हजार लोगों ने नशामुक्ति की प्रतिज्ञा ली है। उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य केवल प्रतिज्ञा दिलाना नहीं, बल्कि समाज में नशे के खिलाफ स्थायी जनजागरूकता पैदा करना है। उन्होंने बताया कि अभियान 20 अगस्त तक लगातार जारी रहेगा और अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, ताकि नशामुक्ति का संदेश समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके।

देशभर में एक करोड़ से अधिक लोगों ने ली प्रतिज्ञा : ब्रह्माकुमारीज के अनुसार, इस राष्ट्रव्यापी अभियान को देश के विभिन्न हिस्सों में व्यापक जनसमर्थन मिल रहा है। अभियान के तहत अब तक एक करोड़ से अधिक लोगों ने नशामुक्ति की प्रतिज्ञा ली है। संस्था का लक्ष्य 10 करोड़ लोगों को नशामुक्ति का संकल्प दिलाकर देशभर में व्यापक जनजागरण खड़ा करना है। अभियान के आयोजकों का कहना है कि नशामुक्त समाज का निर्माण केवल किसी एक संस्था या सरकारी प्रयास से संभव नहीं है। इसके लिए परिवार, शैक्षणिक संस्थानों, सामाजिक संगठनों, युवाओं और आम नागरिकों की सामूहिक भागीदारी जरूरी है। इसी सोच के साथ सरगुजा संभाग में भी अभियान को जनभागीदारी से आगे बढ़ाया जा रहा है।

खुखड़ी बीनने जंगल में गए ग्रामीण पर भालू ने किया हमला,मौत...

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,12 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

उदयपुर वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम सितकालो में मवेशी चराने गए ग्रामीण पर भालू ने हमला कर दिया था। हमले में गंभीर रूप से घायल ग्रामीण को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर लाया गया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे रायपुर रेफर किया,लेकिन रायपुर ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ग्राम सितकालो निवासी चैतू राम (55) बुधवार सुबह मवेशी और बकरियां चराने घर से करीब 500 मीटर दूर जंगल गया था। बताया गया कि वह जंगल में खुखड़ी खोजने के लिए अंदर चला गया। इसी दौरान उसका सामना भालू से हो गया। भालू ने चैतू राम के सिर,कंधे और पीठ पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। भालू से बचने के लिए चैतू राम ने काफी संघर्ष किया। भालू के जंगल की ओर चले जाने के बाद वह किसी तरह घायल हालत में गांव पहुंचा। परिजन उसे तत्काल उपचार के लिए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए रायपुर रेफर कर दिया। रायपुर ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।

मवेशी तस्करी मामले में दो और आरोपी गिरफ्तार,भेजे गए जेल

संवाददाता-
बसंतपुर/बलरामपुर,12 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

मवेशी क्रूरता एवं तस्करी के मामले में बसंतपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो और फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। दोनों आरोपियों की भूमिका 4 अगस्त को बूचड़खाने ले जाए जा रहे 5 मवेशियों के मामले में सामने आई थी। पुलिस के अनुसार 4 अगस्त को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 5 भैंसों को उत्तर प्रदेश के बूचड़खाने में बिक्री के लिए क्रूरतापूर्वक हांककर ले जाया जा रहा है। सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर मुख्य आरोपी उमेश यादव के कब्जे से पांचों मवेशियों को मुक्त कराया था। मामले में अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई। पूछताछ में उमेश यादव से मिली जानकारी के आधार पर सद्दाम खान (32), निवासी पोखरा, थाना बभनी, उत्तर प्रदेश और नंदलाल गोड़ (27),निवासी बहुलापाठ,थाना बसंतपुर की संलिप्तता सामने आई। पुलिस ने 12 अगस्त को दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में सद्दाम खान ने मवेशियों को हांककर ले जाने की बात स्वीकार की, जबकि नंदलाल गोड़ द्वारा मवेशियों को खरीदकर अपने घर में रखने की जानकारी सामने आई। पुलिस ने दोनों के खिलाफ पर्याप्त अपराध साक्ष्य पाए जाने पर पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 एवं छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की संबंधित धाराओं में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया।

अस्पताल में इलाज के दौरान विवाहिता की मौत परिजन ने लगाया गलत इलाज का आरोप...

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,12 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

शहर के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान 3 माह की बच्ची की मां की मौत हो गई। मृतका के पति ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए मामले की जांच की मांग की है। उसका कहना है कि उसकी पत्नी को सांस लेने में परेशानी, खून में संक्रमण और हार्ट में सूजन की शिकायत थी और इलाज के दौरान उसकी हालत लगातार बिगड़ती गई। परिजन के अनुसार मृतका काजल कुजूर पति अमित पन्ना निवासी आदर्शनगर थाना सीतापुर की रहने वाली थी। इसका तबीयत करीब चार-पांच दिन से खराब थी। उसके हाथ-पैर और पूरे शरीर में दर्द की शिकायत थी। 9 अगस्त को उसे जांच के लिए अंबिकापुर स्थित निजी हॉस्पिटल लाया गया। पति के अनुसार, जांच में सीआरपी बढ़ा हुआ, खून में संक्रमण और हार्ट में सूजन होने की जानकारी दी गई। डॉक्टर ने अस्पताल में भर्ती कर इलाज कराने की सलाह दी। उपचार का खर्च करीब 12 से 14 हजार रुपए बताया गया। पति का आरोप है कि 11 अगस्त को अस्पताल स्टाफ ने 7900 रुपए जमा करने को कहा। उसने दवाइयों का बिल मांगा, लेकिन बिल नहीं दिया गया। इसके बाद उसने पत्नी को दूसरे अस्पताल में ले जाने के लिए छुट्टी मांगी, लेकिन डॉक्टर के उपलब्ध नहीं होने की बात कहकर छुट्टी नहीं दी गई। रात करीब 9 बजे महिला की हालत ज्यादा बिगड़ गई। उसे सांस लेने में परेशानी होने लगी और मुंह से खून व सफेद झाग आने लगा। इसके बाद अस्पताल से छुट्टी मिलने पर परिजन उसे करीब 9.30 बजे मिशन अस्पताल लेकर पहुंचे।

इमरजेंसी में डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका के पति ने इलाज में लापरवाही की आशंका जताते हुए मामले की जांच की मांग की है।

युवती ने फांसी लगाकर दी जान सीजीपीएसी की तैयारी करने आई थी छात्रा

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,12 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

गांधीनगर थाना क्षेत्र में किराए के मकान में रह रही युवती ने बुधवार की सुबह अज्ञात कारण से फांसी लगा ली। आस पास के लोगों ने देखा तो उसे तत्काल फंदे से उतारकर अस्पताल ले गए। जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवती सीजीपीएसी की तैयारी करने जशपुर से अंबिकापुर आई थी। पुलिस के अनुसार मृतका तनुजा पैकरा पिता बालसाय उम्र 28 वर्ष फरसाबहार जशपुर की रहने वाली थी। वह 25 जुलाई को अंबिकापुर सीजीपीएसी की तैयारी करने के उद्देश्य से अंबिकापुर आई थी। वह अंबिकापुर स्थित गांधीनगर थाना क्षेत्र में किराए के मकान में रहती थी। बुधवार की सुबह मकान मालिक व पास में रहने वाले एक पड़ोसी ने उसे कमरे में फंदे पर छटपटाते देखा। लोगों ने उसे तत्काल फंदे को काट कर इलाज के लिए अस्पताल ले गए। जहां जांच के दौरान डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर गांधीनगर पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे की जांच की। पुलिस ने मृतका का मोबाइल भी जब्त किया है। संदेह पर पुलिस ने एसएफएल की टीम को बुलाकर जांच कराया। फिलहाल पुलिस मामले में मर्ग कायम कर आगे की जांच के लिए पीएम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।

आग से झुलसे व्यक्ति को डायल-112 ने समय पर अस्पताल पहुंचाया

नवागढ़ में घटना की सूचना मिलते ही सक्रिय हुई टीम,मेडिकल कॉलेज में उपचार शुरू...

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,12 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

नवागढ़ स्थित महामाया मंदिर के पास आग से झुलसे एक व्यक्ति को डायल-112 टीम ने तत्परता दिखाते हुए समय पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसका उपचार शुरू किया। जानकारी के अनुसार 11 अगस्त को सेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर रायपुर से सरगुजा डायल-112 टीम को सूचना मिली कि नवागढ़ क्षेत्र में एक व्यक्ति आग से झुलस गया है और उसे तत्काल मदद की जरूरत है। सूचना मिलते ही कंट्रोल रूम में तैनात प्रधान आरक्षक संजीव त्रिपाठी और महिला आरक्षक मनीषा द्विवेदी ने घटना की मॉनीटरिंग शुरू की और 108 एंबुलेंस को भी सूचना दी। इधर, मौके पर पहुंचे आरक्षक सुशील खेस और चालक पेंटेश्वर ने पीड़ित को उसके परिजनों के साथ सुरक्षित रूप से मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने तत्काल उपचार शुरू किया। यह कार्रवाई डीआईजी एवं एसएसपी राजेश कुमार अग्रवाल के निर्देशन तथा एएसपी व डायल-112 नोडल अधिकारी रितेश चौधरी के मार्गदर्शन में की गई। कंट्रोल रूम की सतत निगरानी, तत्काल समन्वय और मौके पर टीम की सक्रियता से पीड़ित को समय पर चिकित्सा सुविधा मिल सकी।

पुल नहीं होने से जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे ग्रामीण

राशन लेने जा रहा युवक तेज बहाव में फंसा,वीडियो वायरल;ग्रामीणों ने पूछा- हादसे का इंतजार क्यों?

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,12 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत कोरंधा के कदमपारा में नदी पर पुल नहीं होने से ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है। बारिश के दिनों में नदी का जलस्तर बढऩे के बाद ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर नदी पार करनी पड़ रही है। इसी दौरान राशन लेने जा रहा एक युवक नदी के तेज बहाव में फंस गया और डूबने की स्थिति में पहुंच गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि कदमपारा के ग्रामीणों के लिए नदी पार करना रोजमर्रा की मजबूरी है। बारिश में पानी बढऩे के कारण नदी पार करना बेहद खतरनाक हो जाता है। इसके बावजूद जरूरी काम के लिए ग्रामीणों को इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है। वायरल वीडियो में युवक तेज बहाव के बीच फंसा नजर आ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि नदी पर पुल निर्माण की मांग कई बार जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के सामने रखी जा चुकी है। इसके बावजूद अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई। ग्रामीणों ने बताया कि बारिश के दौरान नदी पार करते समय हर साल खतरा बना रहता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द पुल निर्माण कराने की मांग की है। उनका सवाल है कि किसी बड़े हादसे के बाद ही प्रशासन जागेगा या उससे पहले समस्या का समाधान किया जाएगा।

जमड़ी कांवड़ पदयात्रा की तैयारियां पूर्ण,16 अगस्त को निकलेगी शिवभक्तों की टोली

रेणुका नदी के छठ घाट से जल लेकर 25 किमी की पदयात्रा पर निकलेंगे कांवरिए,रास्तेभर जलपान और भोजन की रहेगी व्यवस्था

-संवाददाता-
सूरजपुर,12 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

सावन के पावन अवसर पर भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली जमड़ी धाम कांवड़ पदयात्रा की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं, आगामी 16 अगस्त को सुबह 6 बजे सूरजपुर स्थित पावन रेणुका नदी के छठ घाट से कांवड़िए जल लेकर ऐतिहासिक जमड़ी धाम के लिए रवाना होंगे, करीब 25 किलोमीटर लंबी इस पदयात्रा में सूरजपुर शहर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में शिवभक्तों के शामिल होने की संभावना है।

श्रावण मास में नागपंचमी के एक दिन पूर्व आयोजित होने वाली इस धार्मिक यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है, मां दुर्गे स्वाभिमान युवा कल्याण समिति के तत्वावधान में आयोजित कांवड़ यात्रा को लेकर छठ घाट से लेकर जमड़ी धाम तक मार्ग में आवश्यक व्यवस्थाएं लगभग पूरी कर ली गई हैं, कांवरियों की सुविधा के लिए जगह-जगह जलपान,नाश्ता और भोजन की व्यवस्था की गई है।

झांकियों के साथ होगा भव्य जागरण- कांवड़ यात्रा के साथ 16 अगस्त को जमड़ी धाम में भव्य धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा, आयोजन में मध्यप्रदेश से विशेष रूप से आकर्षक धार्मिक झांकियां लाई जाएंगी,इसके अलावा रात्रि में भगवान भोलेनाथ के विशाल जागरण का आयोजन होगा, मां बागेश्वरी जागरण मंच (बीजेएम म्यूजिकल ग्रुप) के तत्वावधान में होने वाले जागरण में छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध गायक विवेक शर्मा,भोजपुरी के मशहूर गायक पियूष राज,अविनाश पुरी,अंजली गंगवाल तथा लव मी इंडिया फेम स्तुति जायसवाल अपनी प्रस्तुतियां देंगे,भक्ति संगीत और भजनों की प्रस्तुतियों के बीच श्रद्धालु पूरी रात भगवान भोलेनाथ की भक्ति में सराबोर रहेंगे, प्रतिवर्ष की परंपरा के अनुसार इस वर्ष भी विशाल शिवलिंग की स्थापना कर उसका भव्य पुष्प श्रृंगार किया जाएगा,धार्मिक झांकियां और भक्ति संगीत कार्यक्रम आयोजन के प्रमुख आकर्षण रहेंगे।

2010 में शुरू हुई थी कांवड़ यात्रा की परंपरा- जमड़ी धाम कांवड़ पदयात्रा की शुरुआत वर्ष 2010 में मां दुर्गे स्वाभिमान युवा कल्याण समिति से जुड़े युवाओं ने की थी, उस समय कुछ युवाओं द्वारा शुरू की गई करीब 25 किलोमीटर की यह धार्मिक यात्रा धीरे-धीरे एक बड़े धार्मिक आयोजन का रूप ले चुकी है, शुरुआत में सीमित संख्या में श्रद्धालु यात्रा में शामिल होते थे,लेकिन समय के साथ इसमें भाग लेने वाले शिवभक्तों की संख्या लगातार बढ़ती गई,अब सूरजपुर शहर के साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बच्चे, युवा,महिलाएं और बुजुर्ग भी उत्साह के साथ कांवड़ यात्रा में शामिल होते हैं,कांवड़िए रेणुका नदी से जल लेकर भगवान भोलेनाथ के जयघोष और 'बोल बम' के नारों के साथ जमड़ी धाम पहुंचते हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं,धार्मिक आस्था और सामूहिक सहभागिता के कारण यह यात्रा अब क्षेत्र के प्रमुख धार्मिक आयोजनों में शामिल हो गई है, समिति के सदस्यों ने श्रद्धालुओं से अधिक से अधिक संख्या में कांवड़ यात्रा में शामिल होने, भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने और आयोजन को सफल बनाने की अपील की है।

जगह-जगह श्रद्धालुओं की सेवा के लिए तैयारियां-

कांवड़ियों की सुविधा के लिए यात्रा मार्ग में विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं और सहयोगियों की ओर से सेवाभाव से व्यवस्थाएं की गई हैं, महंगवा में बजरंग राजवाड़े एवं साथी, परीं में आत्मा साहू एवं साथी तथा अग्रवाल परिवार, उचड़ीह में दीपक साहू एवं साथी, बसदई में बसदई चौकी तथा करकोटी में रजनीश पांडे एवं साथी द्वारा जलपान की व्यवस्था की जाएगी, जमड़ी मंदिर के पास शाम के नाश्ते की व्यवस्था अमरदीप सोनी, मंदिर में सुबह के नाश्ते की व्यवस्था दिनेश गुप्ता, प्रसाद की व्यवस्था मुकेश साहू तथा रात्रि में कांवरियों के लिए विशेष भोजन की व्यवस्था सूरजपुर के जिंदिया परिवार की ओर से की जाएगी।

जर्जर सड़क पर धान का रोपा लगाकर वार्डवासियों ने जताया विरोध,नगर पंचायत प्रेमनगर के वार्ड क्रमांक 12 का मामला

-संवाददाता-
प्रेमनगर/सूरजपुर,12 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

नगर पंचायत प्रेमनगर के वार्ड क्रमांक 12 में सड़क की बदहाल स्थिति से परेशान वार्डवासियों ने अनोखे अंदाज में अपना विरोध दर्ज कराया। लंबे समय से कीचड़युक्त और जर्जर सड़क से आवागमन करने को मजबूर लोगों ने सड़क पर ही धान का रोपा लगाकर जिम्मेदारों का ध्यान समस्या की ओर आकर्षित किया।

यह विरोध प्रदर्शन राजेश जगते के नेतृत्व में किया गया, वार्डवासियों का कहना है कि बारिश के दिनों में सड़क की हालत और भी खराब हो जाती है, जगह-जगह गड्ढों और कीचड़ के कारण पैदल चलना तो दूर,दोपहिया और चारपहिया वाहनों से आवागमन भी मुश्किल हो गया है,स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है,वार्डवासियों ने कहा कि कई बार सड़क की समस्या की ओर जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकृष्ट कराया गया, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं हुआ।

यही वजह है कि प्रशासन और नगर पंचायत का ध्यान खींचने के लिए सड़क पर धान का रोपा लगाकर विरोध करने का निर्णय लिया गया,राजेश जगते ने कहा कि जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए लगातार परेशान हो रही है, यदि सड़क की स्थिति जल्द नहीं सुधारी गई तो वार्डवासियों के साथ मिलकर आंदोलन को और तेज किया जाएगा,उन्होंने नगर पंचायत प्रशासन से मांग की कि वार्ड क्रमांक 12 की सड़क का तत्काल निरीक्षण कर जर्जर सड़क का निर्माण/मरम्मत कार्य शीघ्र कराया जाए, ताकि लोगों को आवागमन की समस्या से राहत मिल सके,वार्डवासियों के इस अनोखे विरोध ने नगर पंचायत की सड़क व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं,अब देखना होगा कि धान के रोपे से लगाए गए इस विरोध के बाद जिम्मेदारों की नींद कब टूटती है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज से ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सौरव मिश्रा की मुलाकात

संगठनात्मक गतिविधियों की दी जानकारी,बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर हुई चर्चा

-संवाददाता-
मनेंद्रगढ़ 12 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मनेंद्रगढ़ शहर के अध्यक्ष सौरव मिश्रा ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज से मुलाकात कर संगठनात्मक गतिविधियों और जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान सौरव मिश्रा ने प्रदेश अध्यक्ष से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए मनेंद्रगढ़ शहर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा किए जा रहे विभिन्न संगठनात्मक कार्यक्रमों तथा जनता की समस्याओं को लेकर उठाए जा रहे मुद्दों की जानकारी दी।

मुलाकात के दौरान संगठन को और अधिक मजबूत एवं सक्रिय बनाने,आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने,बूथ स्तर तक संगठन की सक्रियता बढ़ाने तथा आम जनता से जुड़े विषयों को मजबूती के साथ उठाने को लेकर चर्चा हुई, सौरव मिश्रा ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का मार्गदर्शन कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए ऊर्जा और प्रेरणा का स्रोत है,उनके नेतृत्व में जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने तथा जनता की आवाज को प्रभावी ढंग से उठाने का संकल्प और मजबूत हुआ है।

वार्ड और बूथ स्तर तक सक्रियता बढ़ाने पर जोर-सौरव मिश्रा ने कहा कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मनेंद्रगढ़ शहर संगठन को सक्रिय करने के साथ-साथ जनहित के विषयों को प्राथमिकता देते हुए लगातार जनता के बीच अपनी भूमिका निभा रही है,आने वाले समय में संगठनात्मक गतिविधियों को और व्यापक रूप दिया जाएगा। प्रत्येक वार्ड और बूथ स्तर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सक्रिय एवं संगठित करने के साथ जनता से सीधा संवाद मजबूत किया जाएगा,इस अवसर पर लीगल सेल प्रदेश अध्यक्ष एवं युवा कांग्रेस नेता व्यंकटेश सिंह,ब्लॉक कांग्रेस कमेटी महामंत्री स्नेहिल शुक्ला तथा जिला कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता एवं कार्यालय प्रभारी भावेश जैन भी उपस्थित रहे।

कार्यकर्ताओं में समन्वय को बताया जरूरी- लीगल सेल प्रदेश अध्यक्ष एवं युवा कांग्रेस नेता व्यंकटेश सिंह ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लगातार मार्गदर्शन और नई ऊर्जा मिल रही है, संगठन को मजबूत बनाने के लिए जमीनी स्तर पर सक्रियता के साथ कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जनता से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाते हुए संगठन को और प्रभावी बनाने की दिशा में काम करना होगा,ब्लॉक कांग्रेस कमेटी महामंत्री स्नेहिल शुक्ला ने कहा कि प्रदेश नेतृत्व का मार्गदर्शन संगठन के लिए महत्वपूर्ण है,कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर जनता के मुद्दों पर निरंतर संघर्ष करने के साथ कांग्रेस की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य करना है,वहीं जिला कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता एवं कार्यालय प्रभारी भावेश जैन ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का स्पष्ट एवं ऊर्जावान नेतृत्व कार्यकर्ताओं को लगातार प्रेरित करता है,संगठनात्मक गतिविधियों को प्रभावी बनाने और जनता की समस्याओं को उचित मंच तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं,मुलाकात के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि नेतृत्व का मार्गदर्शन,कार्यकर्ताओं का समर्पण और जनता का विश्वास कांग्रेस की वास्तविक ताकत है,प्रदेश नेतृत्व के मार्गदर्शन में मनेंद्रगढ़ शहर में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने तथा जनहित के मुद्दों पर लगातार संघर्ष करने का संकल्प दोहराया गया।

नर्मदापुर में 2.07 करोड़ के भुगतान पर सवाल,जांच में निर्माण कार्यों के बिना राशि आहरण का खुलासा

बिना ग्रामसभा अनुमोदन,प्रमाणक और मूल्यांकन के राशि निकालने का आरोप,पंचायत के सरपंच-सचिव और वेंडरों को नोटिस

-संवाददाता-
अंबिकापुर/मैनपाट,12 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

ग्राम पंचायत नर्मदापुर में शासकीय योजनाओं और निर्माण कार्यों के नाम पर हुए करोड़ों रुपए के भुगतान ने पंचायत व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिया हैं। शिकायतों की जांच के बाद सामने आए तथ्यों के आधार पर 2 करोड़ 7 लाख 16 हजार रुपए से अधिक की राशि के आहरण में गंभीर वित्तीय अनियमितता पाए जाने की बात सामने आई है। जांच रिपोर्ट के बाद संबंधितों को नोटिस जारी किए गए हैं। कलेक्टर अजीत वसंत के निर्देश पर जिला पंचायत सीईओ विनय कुमार अग्रवाल ने एसडीएम सीतापुर की अध्यक्षता में चार सदस्यीय जांच दल गठित किया था। दल ने वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक ग्राम पंचायत में मूलभूत, 15वें वित्त, स्वच्छ भारत मिशन सहित अन्य योजनाओं के तहत हुए कार्यों और भुगतान की जांच की।

कागजों में काम,जमीन पर कुछ नहीं? जांच में पंचायत के अभिलेखों के परीक्षण के दौरान बिना पर्याप्त प्रमाणक, मूल्यांकन, सत्यापन और नस्ती फाइल के राशि आहरण किए जाने की बात सामने आई है। जांच में यह भी उल्लेखित है कि कई मामलों में ग्रामसभा के अनुमोदन के बिना राशि निकाली गई तथा जिन कार्यों के नाम पर भुगतान हुआ, उनके मौके पर निर्माण कार्य नहीं पाए गए। यानी सरकारी रिकॉर्ड में खर्च का हिसाब दिखाई दिया,लेकिन मौके पर काम की स्थिति सवाल खड़े करती मिली। यही स्थिति पंचायतों में विकास कार्यों की निगरानी और भुगतान प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करती है।

किसके कार्यकाल में कितनी राशि? जांच रिपोर्ट के अनुसार अलग-अलग समय में पंचायत के सरपंच-सचिवों तथा विभिन्न वेंडरों को राशि का भुगतान किया गया। इसमें सचिव सिकंदर प्रजापति के कार्यकाल में 60.64 लाख रुपए, सचिव चंद्रपाल सिंह के कार्यकाल में 8.13 लाख तथा सचिव अनिल यादव के कार्यकाल में 5.11 लाख रुपए के आहरण का उल्लेख है। इसी तरह सरपंच गणेश नाग के कार्यकाल में 5.11 लाख, सरपंच राजनाथ भैंसा के कार्यकाल में 60.66 लाख तथा सरपंच ललिता भैंसा के कार्यकाल में 7.89 लाख रुपए की राशि का उल्लेख जांच में किया गया है। इसके अलावा विभिन्न वेंडरों और फर्मों को करीब 40.78 लाख रुपए का भुगतान किए जाने की बात सामने आई है।

निर्माण नहीं,फिर भुगतान किस बात का? सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि जांच रिपोर्ट में उल्लेखित कई भुगतानों के पीछे मौके पर निर्माण कार्य नहीं कराया जाना पाया गया है,तो फिर राशि किस आधार पर निकाली गई और भुगतान को किस स्तर पर सत्यापित किया गया? ग्रामसभा की स्वीकृति, तकनीकी मूल्यांकन,कार्य पूर्णता और स्थल सत्यापन जैसी प्रक्रियाओं के बिना इतनी बड़ी राशि का भुगतान कैसे हुआ, यह भी जांच का महत्वपूर्ण बिंदु है।

अब नोटिस से आगे की कार्रवाई पर नजर

मामला सामने आने के बाद संबंधित सरपंच,सचिवों और अन्य संबंधितों को नोटिस जारी किए गए हैं। अब देखना यह होगा कि जिम्मेदारों के जवाब के बाद प्रशासन केवल राशि की वसूली और नोटिस तक सीमित रहता है या वित्तीय अनियमितता के लिए जिम्मेदार लोगों पर वास्तविक जवाबदेही भी तय होती है। करीब 2.07 करोड़ रुपए के आहरण से जुड़े इस मामले ने पंचायत स्तर पर सरकारी धन के इस्तेमाल, कार्यों की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। ग्रामीणों को अब जांच के अंतिम निष्कर्ष और दोषियों पर होने वाली कार्रवाई का इंतजार है।

भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता राम कुमार अग्रवाल का अंतिम संस्कार सम्पन्न

-संवाददाता-

मनेन्द्रगढ़,12 अगस्त 2026 (घटती-घटना)। भारतीय जनता पार्टी, मनेन्द्रगढ़ के वरिष्ठ एवं सम्मानित कार्यकर्ता श्री राम कुमार अग्रवाल का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया,उन्होंने रविवार सुबह करीब 3 बजे अंतिम सांस ली। श्री राम कुमार अग्रवाल के निधन के उपरांत रविवार 9 अगस्त 2026 को उनके निवास स्थान से दोपहर 3 बजे अंतिम यात्रा निकाली गई, अंतिम यात्रा आमाखेरवा मुक्तिधाम पहुंची,जहां परिजनों एवं शुभचिंतकों की उपस्थिति में उनका अंतिम संस्कार विधिवत सम्पन्न किया गया,भाजपा जिला मीडिया प्रभारी राम चरित द्विवेदी ने उनके निधन को संगठन एवं समाज के लिए अपूरणीय क्षति बताया, कार्यकर्ताओं ने कहा कि श्री अग्रवाल लंबे समय से भाजपा से जुड़े रहे और पार्टी के प्रति समर्पित एवं सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे, उनके सहज, सरल एवं मिलनसार व्यवहार के कारण वे कार्यकर्ताओं एवं परिचितों के बीच सम्मानित रहे।

दिनदहाड़े घर का ताला तोड़कर चोरी

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,12 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

लुण्ड्रा थाना क्षेत्र के ग्राम अमगांव में दिनदहाड़े घर का ताला तोड़कर अज्ञात चोर ने 10 हजार रुपये नकद सहित 20 हजार का बर्तन पार कर दिया। घटना 10 अगस्त सुबह की है। जानकारी के मुताबिक ग्राम अमगांव निवासी नान कुमार मरावी सुबह 8 बजे मनरेगा के तहत पौधा रोपण के काम पर गए थे, उनकी पत्नी आंगनबाड़ी सहायिका है, जो सुबह 9.40 बजे घर में ताला लगाकर चली गई थी। चाबी घर के दीवार में रखी थी। सुबह 10.12 बजे गांव के मदन राम ने फोन करके बताया कि घर का ताला खुला है और नीचे गिरा हुआ है। इसके बाद मदन ने नान कुमार के पिता को चोरी की घटना से अवगत कराया और घर के अंदर गए तो अलमारी और पेटी का ताला टूटा हुआ है और पूरा सामान बिखरा पड़ा है। चोर आलमारी के लाकर से नकद रकम 10 हजार रुपये, आधार कार्ड, पेन कार्ड, एटीएम कार्ड और पेटी से कांसा की थाली और लोटा 9 नग, कीमत 10 हजार रुपये ले गए थे। पीड़ित ने लुण्ड्रा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

प्रतापपुर विकासखंड के ग्राम सरहरी में भाषण एवं रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन, विद्यार्थियों ने दिखाई रचनात्मक प्रतिभा

-संवाददाता-
सरहरी,12 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरहरी में पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छता के प्रति विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भाषण एवं रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन उत्साह और उमंग के साथ किया गया। प्रतियोगिता में छात्र-छात्राओं ने अपनी रचनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए स्वच्छता, जल संरक्षण,वृक्षारोपण,हरित परिसर एवं प्लास्टिक मुक्त वातावरण का प्रभावी संदेश दिया। कार्यक्रम की शुरुआत रंगोली प्रतियोगिता से हुई। कक्षा 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं ने विभिन्न समूहों में पर्यावरण संरक्षण की थीम पर आकर्षक एवं संदेशपरक रंगोलियां

तैयार कीं। रंग-बिरंगे प्राकृतिक एवं पारंपरिक रंगों से सजी इन रंगोलियों में 'पेड़ लगाओ-पर्यावरण बचाओ', 'जल है तो कल है', 'स्वच्छ विद्यालय-स्वस्थ जीवन' तथा 'प्लास्टिक मुक्त परिसर' जैसे संदेशों को बेहद सुंदर ढंग से उकेरा गया। रंगोलियों ने विद्यालय परिसर की सुंदरता बढ़ाने के साथ उपस्थित लोगों का ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विद्यालय के प्राचार्य दिलीप कुमार तिवारी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने विद्यार्थियों से अपने घर, विद्यालय और आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ रखने, अधिक से अधिक पौधे लगाने तथा लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों में बचपन से ही पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना जरूरी है, क्योंकि यही विद्यार्थी भविष्य में समाज में जागरूकता के वाहक बनेंगे। कार्यक्रम का संचालन श्री अविनाश तिवारी ने किया। उन्होंने स्वच्छता को स्वस्थ जीवन और जिम्मेदार नागरिकता का आधार बताते हुए विद्यार्थियों से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कम करने,कचरे का उचित निपटान करने,पानी की बर्बादी रोकने तथा अपने आसपास अधिक से अधिक हरियाली विकसित करने का संकल्प लेने की अपील की। वहीं व्याख्याता निशा तिवारी ने भी विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण के महत्व से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि प्रकृति हमें जीवन के लिए आवश्यक वायु, जल और विभिन्न संसाधन उपलब्ध कराती है,इसलिए प्रकृति की रक्षा करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

उन्होंने विद्यार्थियों से पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को केवल अभियान तक सीमित न रखकर इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की।

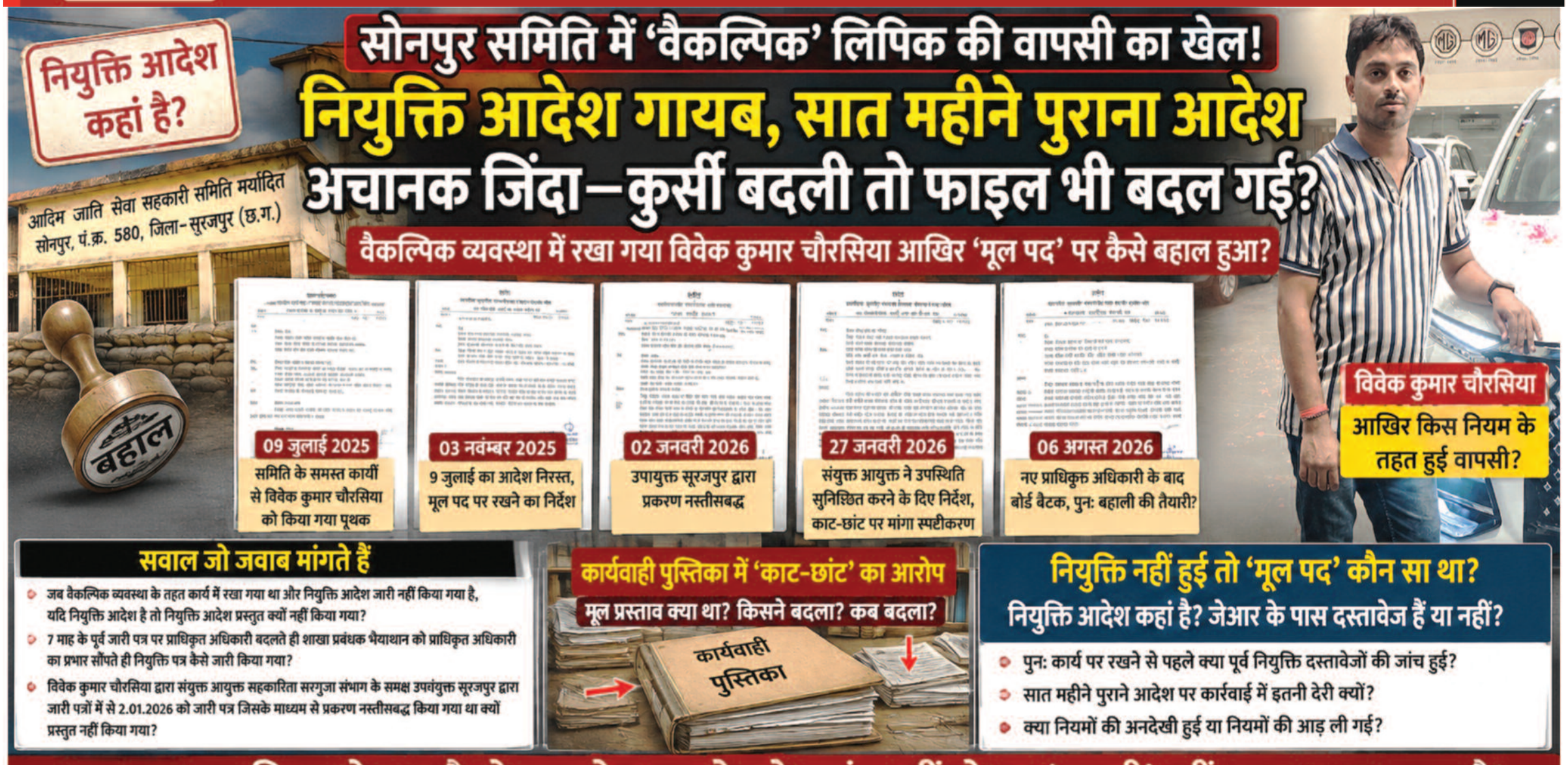

सोनपुर समिति में 'वैकल्पिक' लिपिक की वापसी का रहस्य! नियुक्ति आदेश गायब, पुराने आदेश पर महीनों बाद कार्रवाई-प्राधिकृत अधिकारी बदलते ही क्यों बदली तस्वीर?

नियुक्ति आदेश नहीं,फिर बहाली कैसी? सोनपुर समिति में विवेक चौरसिया की वापसी ने खोली 'कागजी व्यवस्था' की पोल

सोनपुर समिति में 'वैकल्पिक' लिपिक की वापसी पर सवाल, नियुक्ति आदेश गायब तो 7 माह पुराने आदेश पर अब क्यों कार्रवाई?

9 जुलाई 2025 को सेवा से पृथक, जनवरी 2026 में प्रकरण नस्तीबद्ध और फिर प्राधिकृत अधिकारी बदलते ही पुनः कार्य पर वापसी,रिकॉर्ड में 'काट-छांट' के आरोप ने बढ़ाए सवाल...

सात महीने पुराना आदेश अचानक जिंदा! प्राधिकृत अधिकारी बदले तो 'वैकल्पिक' लिपिक की कुर्सी भी वापस

पहले पृथक किया,फिर नस्तीबद्ध किया...अब बहाली! सोनपुर समिति में विवेक चौरसिया की वापसी पर उठे गंभीर सवाल

'वैकल्पिक व्यवस्था' का कर्मचारी बना स्थायी सवाल—विवेक चौरसिया की वापसी में नियुक्ति आदेश आखिर कहां है?

कुर्सी बदली, फाइल बदली और सात महीने पुराना आदेश जाग उठा! सोनपुर समिति में चौरसिया की वापसी पर सवाल

-ओंकार पाण्डेय-

सोनपुर/भैयाथान,12 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

सहकारिता विभाग में नियम-कायदे किसके लिए हैं यह सवाल अब सोनपुर आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित के एक मामले ने फिर खड़ा कर दिया है,यहां मामला इतना सीधा होता तो शायद खबर ही नहीं बनती,लेकिन फाइलों में तारीखें आगे बढ़ती हैं,अधिकारी बदलते हैं,आदेश आते हैं,पुराने आदेशों की व्याख्या बदलती दिखाई देती है और अंत में वही व्यक्ति फिर समिति की व्यवस्था में दिखाई देने लगता है, जिसे कभी समिति के काम से पृथक कर दिया गया था उसे मूल पद पर यथावत रखने का आदेश हो गया,वैसे सहकारिता विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल कोई नई बात नहीं है,लेकिन आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित सोनपुर,पंजीयन क्रमांक 580 से जुड़े विवेक कुमार चौरसिया के मामले ने व्यवस्था के भीतर चलने वाली प्रक्रिया पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं,उपलब्ध दस्तावेजों में चौरसिया को एक ओर वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अस्थायी लिपिक बताया गया है,जबकि बाद के विभागीय पत्राचार में उन्हें मूल पद पर यथावत रखने की कार्रवाई का उल्लेख मिलता है,यही विरोधाभास पूरे मामले का केंद्र बन गया है।

बता दे की सबसे अहम प्रश्न यह है कि जब समिति स्वयं कहती है कि चौरसिया की नियुक्ति नहीं हुई और उन्हें कोई नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया गया,तो उनका मूल पद क्या था? यदि नियुक्ति हुई थी तो उसका आदेश कहां है? और यदि नियुक्ति नहीं हुई तो बाद में उन्हें वापस कार्य पर रखने की प्रक्रिया किस वैधानिक आधार पर आगे बढ़ी? मामला सिर्फ इतना नहीं है,तारीखों को क्रम में रखने पर घटनाक्रम और ज्यादा गंभीर दिखाई देता है, 9 जुलाई 2025 को उन्हें समिति के कार्य से अलग किया गया,3 नवंबर को जिला सहकारिता कार्यालय से उन्हें यथावत रखने की कार्रवाई का निर्देश आया, 2 जनवरी 2026 को संबंधित प्रकरण नस्तीबद्ध किए जाने का पत्र सामने आया,इसके बाद 27 जनवरी को संयुक्त आयुक्त सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक, सरगुजा संभाग ने फिर उपस्थिति सुनिश्चित कराने और समिति की कार्यवाही पुस्तिका को लेकर स्पष्टीकरण मांगा, बाद में नए प्राधिकृत अधिकारी के कार्यभार संभालने के बाद संचालक मंडल की बैठक के माध्यम से उन्हें दोबारा कार्य में रखने की प्रक्रिया सामने आई, अब सवाल यह नहीं कि चौरसिया समिति में काम करते थे या नहीं, सवाल यह है कि उनकी वास्तविक सेवा स्थिति क्या थी और दोबारा कार्य पर आने का आधार कौन-सा दस्तावेज था?

9 जुलाई 2025 को व्यवस्था खत्म हुई और चौरसिया को हटाया गया

उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार विवेक कुमार चौरसिया को 9 जुलाई 2025 से समिति एवं समिति के समस्त कार्यों से पृथक कर दिया गया,समिति के बाद के पत्राचार में बताया गया कि संस्था में पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध थे और अतिरिक्त कर्मचारी की आवश्यकता नहीं रह गई थी, साथ ही चौरसिया के मई 2025 से बिना पूर्व सूचना लगातार अनुपस्थित रहने का भी उल्लेख किया गया,इस आधार पर वैकल्पिक व्यवस्था समाप्त कर उन्हें समिति के कार्यों से अलग किया गया, यदि मामला यहीं रुकता तो प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल होती,लेकिन कुछ ही समय बाद विभागीय स्तर पर इसी निर्णय को लेकर नया मोड़ आया।

3 नवंबर 2025 का आदेश—पृथक्करण निरस्त करने का निर्देश

उप आयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला सूरजपुर की ओर से 3 नवंबर 2025 को पत्र क्रमांक 636 जारी किया गया,इसमें चौरसिया द्वारा की गई शिकायत तथा संबंधित जांच का उल्लेख है,पत्र में उनकी सेवा से पृथक करने की कार्रवाई पर आपत्ति दर्ज करते हुए 9 जुलाई 2025 के आदेश को निरस्त कर उन्हें यथावत उनके मूल पद पर रखने की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया,लेकिन इस आदेश के बाद एक और प्रश्न सामने आता है जब समिति के अनुसार कोई नियमित नियुक्ति हुई ही नहीं थी,तब'मूल पद'किस आधार पर तय किया गया? यदि चौरसिया की नियुक्ति का कोई आदेश था तो उसकी प्रति सामने आनी चाहिए,यदि कोई नियुक्ति आदेश नहीं था तो विभागीय पत्र में इस्तेमाल किए गए'मूल पद'की व्याख्या आवश्यक है, यही वह बिंदु है जिसे स्पष्ट किए बिना आगे की पूरी प्रक्रिया पर सवाल बना रहेगा।

नवंबर के आदेश के बाद वास्तविक जॉइनिंग कब हुई?-3 नवंबर 2025 के निर्देश के बाद चौरसिया ने कब कार्यभार संभाला,यह भी स्पष्ट किया जाना जरूरी है, यदि उन्होंने तत्काल ज्वाइन किया तो उसकी जॉइनिंग रिपोर्ट कहां है? यदि उन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो किस कारण से? क्या समिति ने उन्हें कार्यभार ग्रहण करने से रोका? क्या उन्होंने ज्वाइनिंग के लिए आवेदन दिया? क्या विभाग ने अनुपालन रिपोर्ट मांगी? क्या आदेश के पालन पर कोई रोक थी? इन सवालों का स्पष्ट उत्तर उपलब्ध दस्तावेजों से सामने नहीं आता, इसलिए इस मामले में यह कहना अधिक उचित होगा कि 3 नवंबर के आदेश और वास्तविक कार्यग्रहण के बीच की अवधि की स्वतंत्र जांच आवश्यक है।

2 जनवरी 2026 को प्रकरण नस्तीबद्ध, फिर मामला आगे कैसे बढ़ा?-मामले में 2 जनवरी 2026 का जिला सहकारिता कार्यालय का पत्र भी महत्वपूर्ण है, इसमें विवेक कुमार चौरसिया से जुड़े प्रकरण को नस्तीबद्ध किए जाने का उल्लेख है,यदि 2 जनवरी को मामला समाप्त मान लिया गया था, तो उसके बाद फिर उसी विषय पर उच्च स्तर पर कार्रवाई किस आधार पर हुई? क्या कोई नया आवेदन आया? क्या किसी पक्ष ने आदेश के खिलाफ अपील की? क्या कोई नया तथ्य सामने आया? क्या नस्तीबद्ध आदेश की समीक्षा हुई? इन प्रश्नों का जवाब सामने आना चाहिए,विशेष रूप से यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि 2 जनवरी 2026 का पत्र विवेक कुमार चौरसिया द्वारा संयुक्त आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया गया था या नहीं,यदि प्रस्तुत किया गया था तो संयुक्त आयुक्त कार्यालय ने उसे किस रूप में देखा? और यदि प्रस्तुत नहीं किया गया था तो क्यों?

27 जनवरी को संयुक्त आयुक्त ने फिर मांगा स्पष्टीकरण-इसके बाद 27 जनवरी 2026 को संयुक्त आयुक्त सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं, सरगुजा संभाग की ओर से पत्र क्रमांक 57 जारी हुआ, इस पत्र में चौरसिया की शिकायत का उल्लेख करते हुए समिति की कार्यवाही पुस्तिका में काट-छांट कर दूसरा प्रस्ताव एवं निर्णय लिखे जाने की बात सामने आई,समिति से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया तथा चौरसिया की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए, इस बिंदु ने पूरे प्रकरण को और गंभीर बना दिया, क्योंकि अब विवाद केवल सेवा स्थिति का नहीं रहा बल्कि समिति की बैठक की कार्यवाही और रिकॉर्ड की विश्वसनीयता से भी जुड़ गया।

कार्यवाही पुस्तिका में क्या बदला गया था?-यदि किसी बैठक के प्रस्ताव में काट-छांट हुई और बाद में दूसरा प्रस्ताव लिखा गया,तो यह जानना जरूरी है कि मूल निर्णय क्या था, किसने बदलाव किया? किसके निर्देश पर किया? क्या संचालक मंडल की सहमति ली गई? क्या संशोधित प्रस्ताव पर सभी संबंधित सदस्यों के हस्ताक्षर हैं? क्या मूल पृष्ठ सुरक्षित है? क्या बैठक के एजेंडे में चौरसिया का मामला पहले से शामिल था? इन सवालों का उत्तर केवल मूल कार्यवाही पुस्तिका देखकर ही दिया जा सकता है, यदि बदलाव नियमसम्मत था तो पूरी प्रक्रिया सामने रखी जानी चाहिए, यदि नहीं था तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।

प्राधिकृत अधिकारी बदले और फिर बोर्ड की बैठक क्यों?-इस मामले में प्राधिकृत अधिकारी का परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है,पहले की कार्रवाई एक अलग प्राधिकृत अधिकारी के कार्यकाल से संबंधित थी। बाद में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित भैयाथान शाखा के शाखा प्रबंधक श्यामलाल सिंह को प्राधिकृत अधिकारी का दायित्व मिला,इसके बाद संचालक मंडल की बैठक के माध्यम से चौरसिया को दोबारा कार्य पर रखने की प्रक्रिया सामने आई, यहीं सबसे बड़ा प्रशासनिक प्रश्न उठता है–यदि 3 नवंबर 2025 का आदेश पहले से प्रभावी था तो नए प्राधिकृत अधिकारी के आने के बाद बोर्ड की प्रक्रिया की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या नए अधिकारी ने पूरी फाइल का परीक्षण किया? क्या उन्होंने मूल नियुक्ति दस्तावेज मांगे? क्या 9 जुलाई का पृथक्करण आदेश देखा? क्या 3 नवंबर का निर्देश देखा? क्या 2 जनवरी का नस्तीबद्ध आदेश उनके संज्ञान में था? क्या 27 जनवरी के संयुक्त आयुक्त के पत्र का परीक्षण किया गया? यदि सब देखा गया तो इसकी नोटशीट कहां है?

सात महीने पुराने आदेश पर अचानक अमल का सवाल-मामले की सबसे दिलचस्प कड़ी यही है,एक ओर 3 नवंबर 2025 का आदेश है,दूसरी ओर बाद की प्रक्रिया है जिसमें महीनों बाद कार्य पर रखने की कार्रवाई सामने आती है,यदि आदेश पहले ही जारी हो गया था तो उसके तत्काल अनुपालन में क्या बाधा थी? यदि बाधा थी तो किस अधिकारी ने उसे दर्ज किया? यदि आदेश अधूरा था तो संशोधित आदेश क्यों नहीं निकला? और यदि परिस्थितियां बदल गई थीं तो पुराने आदेश को सीधे लागू करने के बजाय नई प्रशासनिक प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई गई? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आदेश जारी होना और उसका वैधानिक अनुपालन होना दो अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं।

नियुक्ति आदेश है तो सामने आए, नहीं है तो 'मूल पद' स्पष्ट हो-इस पूरे मामले की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी अब भी वही है– विवेक कुमार चौरसिया की मूल नियुक्ति का दस्तावेज,यदि नियुक्ति आदेश उपलब्ध है तो उसे सामने रखकर यह स्पष्ट किया जा सकता है कि चौरसिया किस पद पर नियुक्त हुए थे, यदि आदेश नहीं है तो समिति का यह जवाब महत्वपूर्ण हो जाता है कि उन्हें केवल वैकल्पिक व्यवस्था में अस्थायी लिपिक के रूप में रखा गया था,फिर सवाल यह बनेगा कि उस अस्थायी व्यवस्था को समाप्त करने के बाद उन्हें दोबारा किस आधार पर कार्य दिया गया,एक तरफ 'नियुक्ति नहीं हुई' और दूसरी तरफ'मूल पद पर यथावत'–दोनों बातों के बीच की दूरी कौन तय करेगा?

क्या पुनः कार्य पर लेने से पहले पूरी फाइल देखी गई?-किसी ऐसे व्यक्ति को वापस कार्य पर लेने से पहले,जिसे पहले समिति से पृथक किया जा चुका हो,संबंधित अधिकारियों द्वारा उसका पूरा रिकॉर्ड देखना जरूरी है, इसमें वैकल्पिक व्यवस्था का आधार, संबंधित कार्यवाही, पृथक्करण आदेश, विभागीय पत्र,नस्तीबद्ध प्रकरण, उच्च कार्यालय के निर्देश और बोर्ड की बैठक–सभी शामिल होने चाहिए,यदि इन दस्तावेजों का परीक्षण किया गया था तो उसकी प्रशासनिक नोटशीट या जांच रिपोर्ट उपलब्ध होनी चाहिए,यदि नहीं किया गया तो सवाल यह होगा कि बिना मूल सेवा रिकॉर्ड देखे पुनः कार्य पर रखने की प्रक्रिया कैसे पूरी हुई?

विवेक चौरसिया की 'पहुंच' से ज्यादा जरूरी है प्रक्रिया की पारदर्शिता-विवेक कुमार चौरसिया की किसी अधिकारी से विशेष नजदीकी या प्रभाव का दावा उपलब्ध दस्तावेजों से प्रमाणित नहीं होता,इसलिए इसे तथ्य की तरह प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा,लेकिन उनकी सेवा से जुड़ी प्रक्रिया में कई स्तरों पर बदलाव जरूर दर्ज हैं। यही कारण है कि उनकी कथित पहुंच से ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि उनके मामले में विभागीय प्रक्रिया इतनी लंबी और जटिल क्यों हुई? एक अस्थायी कर्मचारी को हटाया गया, फिर विभागीय स्तर पर आदेश आया,फिर मामला नस्तीबद्ध हुआ,फिर उच्च स्तर पर शिकायत और कार्यवाही हुई,फिर कार्यवाही पुस्तिका पर सवाल आया,और बाद में बोर्ड की बैठक के माध्यम से वापसी की प्रक्रिया सामने आई,यह पूरा क्रम सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया था या इसमें कहीं नियमों की अनदेखी हुई–यह जांच का विषय है।

सोनपुर की फाइल अब अधिकारियों से सीधा जवाब मांग रही है-अब सहकारिता विभाग को केवल यह बताना पर्याप्त नहीं होगा कि विवेक चौरसिया को कार्य पर क्यों रखा गया,उसे यह भी बताना होगा कि उनकी पहली एंट्री किस आधार पर हुई थी,यदि वह वैकल्पिक व्यवस्था थी तो उसका मूल आदेश कहां है? यदि नियमित नियुक्ति थी तो नियुक्ति पत्र कहां है? यदि 3 नवंबर का आदेश लागू था तो उसका अनुपालन कब हुआ? यदि 2 जनवरी को प्रकरण नस्तीबद्ध हो चुका था तो 27 जनवरी को फिर कार्रवाई क्यों हुई? यदि संयुक्त आयुक्त ने उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा तो वास्तविक जॉइनिंग की तारीख क्या है? और यदि बाद में बोर्ड ने कार्य पर रखा तो बोर्ड के सामने कौन-कौन से दस्तावेज प्रस्तुत किए गए?

अब'फाइल चलेगी' नहीं,'फाइल खुलेगी'जरूरी है-सोनपुर समिति का यह प्रकरण किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने से पहले दस्तावेजों की पूरी जांच की मांग करता है, उपलब्ध रिकॉर्ड में चौरसिया को वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अस्थायी लिपिक बताया गया है और नियुक्ति आदेश जारी न होने की बात समिति के जवाब में सामने आती है,दूसरी ओर विभागीय पत्राचार में उन्हें मूल पद पर रखने की कार्रवाई का उल्लेख है,यही विरोधाभास अब जांच का आधार है,नियुक्ति आदेश है तो सामने आए,नहीं है तो मूल पद का आधार बताया जाए, 3 नवंबर के आदेश पर तत्काल कार्रवाई नहीं हुई तो कारण बताया जाए,2 जनवरी का नस्तीबद्ध आदेश बाद की कार्रवाई में किस स्थिति में था,यह स्पष्ट किया जाए,27 जनवरी के संयुक्त आयुक्त के निर्देश के बाद जॉइनिंग कब हुई, यह रिकॉर्ड में दिखाया जाए, और बोर्ड ने यदि पुनः कार्य पर रखा तो पूरी फाइल उसके सामने रखी गई थी या नहीं,यह बताया जाए, क्योंकि सोनपुर समिति का असली सवाल विवेक कुमार चौरसिया की कुर्सी नहीं है, असली सवाल यह है कि उस कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता नियमों ने बनाया था या बदलते अधिकारियों और बदलती कार्यवाहियों ने, अब इस मामले में जवाब बयान से नहीं, मूल नियुक्ति आदेश,कार्यवाही पुस्तिका, नोटशीट और अनुपालन रिपोर्ट से चाहिए।

कार्यवाही पुस्तिका में काट-छांट, नियुक्ति प्रक्रिया पर भी सवाल-यदि विवेक कुमार चौरसिया की नियुक्ति से संबंधित कार्यवाही पुस्तिका में काट-छांट कर दूसरा प्रस्ताव लिखे जाने का आरोप है,तो जांच केवल कार्यवाही पुस्तिका तक सीमित क्यों रहे? तत्कालीन प्राधिकृत अधिकारी ने उन्हें कार्य पर रखने से पहले क्या उच्च कार्यालय से अनुमति ली थी? क्या नियुक्ति के लिए विवेक चौरसिया से बाकायदा आवेदन प्राप्त किया गया था? क्या संबंधित पद के लिए विज्ञापन जारी किया गया था और अन्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे? यदि ये प्रक्रियाएं अपनाई गई थीं तो उनके दस्तावेज कहां हैं? और यदि न अनुमति ली गई,न आवेदन लिया गया, न विज्ञापन जारी हुआ तथा नियुक्ति आदेश भी नहीं था, तो फिर किस नियम और अधिकार के तहत उन्हें समिति में कार्य करने दिया गया? अब इन मूल दस्तावेजों की जांच ही पूरी प्रक्रिया की वास्तविकता सामने ला सकती है।

एमसीबी को विकास की दो बड़ी सौगातें...नवीन उप-पंजीयक कार्यालय के साथ 3.90 किमी सड़क के लिए 11.85 करोड़ मंजूर

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी का जताया आभार,दबुछोला-भुकभुकी से चिरमिरी मार्ग के चौड़ीकरण को भी मिली शासकीय स्वीकृति

-रवि सिंह-

मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी,12 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) जिले के विकास से जुड़े दो महत्वपूर्ण निर्णय सामने आए हैं, एक ओर क्षेत्र में नवीन उप-पंजीयक कार्यालय की स्थापना की सौगात मिलने से स्थानीय स्तर पर दस्तावेजों के पंजीयन की सुविधा बढ़ने की उम्मीद है,वहीं दूसरी ओर राज्य शासन ने दबुछेला के भुकभुकी से चिरमिरी तक 3.90 किलोमीटर मार्ग के 2-लेन चौड़ीकरण, पुल-पुलिया सहित निर्माण कार्य के लिए 11 करोड़ 84 लाख 86 हजार रुपये की शासकीय स्वीकृति प्रदान की है। यह कार्य वर्ष 2026-27 के बजट में शामिल है और इसे मद क्रमांक 4126 के तहत स्वीकृति दी गई है। नवीन उप-पंजीयक कार्यालय की स्थापना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सोशल मीडिया के माध्यम से इसे क्षेत्रवासियों के लिए महत्वपूर्ण सुविधा बताया है,उन्होंने कहा कि नवीन कार्यालय स्थापित होने से स्थानीय स्तर पर लोगों को दस्तावेजों के पंजीयन कराने में आसानी होगी, उन्होंने इसे भाजपा सरकार के संकल्प और जनता के भरोसे का प्रतीक बताते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तथा वित्त मंत्री ओपी चौधरी के प्रति आभार जताया है। उनके सोशल मीडिया पोस्ट में यह भी कहा गया है कि यह सौगात स्थानीय लोगों को पंजीयन संबंधी कार्यों के लिए सुविधा प्रदान करेगी। इस पोस्ट को 6 मार्च 2026 को साझा किया गया था।

सड़क के लिए 11.84 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति

इसी बीच लोक निर्माण विभाग से जारी 10 अगस्त 2026 के शासकीय आदेश ने एमसीबी जिले के सड़क अधोसंरचना से जुड़ी एक महत्वपूर्ण परियोजना को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ कर दिया है, शासन ने दबुछोला के भुकभुकी से चिरमिरी तक 3.90 किलोमीटर लंबाई के मार्ग को 2-लेन में चौड़ीकरण तथा पुल-पुलिया सहित निर्माण के लिए 1184.86 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है, दस्तावेज में इसे वर्ष 2026-27 के बजट में शामिल कार्य और मद क्रमांक 4126 के रूप में दर्ज किया गया है,स्वीकृति आदेश के अनुसार यह राशि वित्त विभाग की सहमति के आधार पर मंजूर की गई है,वित्त विभाग की सहमति से संबंधित ई-फाइल का क्रमांक भी आदेश में दर्ज है और इसी सहमति के आधार पर लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है,स्वीकृति के साथ शासन ने निर्माण एजेंसी के सामने कई महत्वपूर्ण शर्तें भी रखी हैं,इनमें सबसे पहले सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही निविदा आमंत्रित करने और निर्माण कार्य शुरू करने की बात कही गई है, साथ ही ड्राइंग एवं डिजाइन का सक्षम अधिकारी से अनुमोदन अनिवार्य किया गया है।

गुणवत्ता में कमी मिली तो जिम्मेदारी तय होगी-सड़क और पुल-पुलिया निर्माण की गुणवत्ता को लेकर भी आदेश में सरकार ने जिम्मेदारी तय करने का संकेत दिया है, निर्माण में उपयोग होने वाली सामग्री और पूरे कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, किसी भी स्तर पर गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही गई है,निर्माण कार्य को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करना भी अनिवार्य किया गया है,समय-सीमा में वृद्धि होने की स्थिति में नियमानुसार अर्थदंड लगाने तथा अनावश्यक समय-वृद्धि नहीं करने के निर्देश हैं, केवल अपरिहार्य और नियंत्रण से बाहर के कारणों के आधार पर ही सक्षम अधिकारी समय-सीमा बढ़ा सकेगा।

90 प्रतिशत बाधारहित भूमि के बाद ही निविदा

सरकारी आदेश में परियोजना के लिए भूमि की उपलब्धता को लेकर भी स्पष्ट प्रावधान किया गया है, प्रस्तावित निर्माण कार्य की निविदा तभी की जानी है, जब कम से कम 90 प्रतिशत बाधारहित भूमि उपलब्ध हो,यदि परियोजना में भू-अर्जन प्रस्तावित है तो स्वीकृत राशि की सीमा के भीतर ही नियमानुसार भू-अर्जन पर खर्च किया जा सकेगा, वहीं यदि भू-अर्जन प्रस्तावित नहीं है तो शासकीय भूमि पर ही निर्माण सुनिश्चित करने और सक्षम अधिकारी से भूमि का आवंटन कराने की शर्त रखी गई है,इसका मतलब साफ है कि सड़क निर्माण की प्रक्रिया केवल बजट स्वीकृति तक सीमित नहीं है,बल्कि निर्माण शुरू करने से पहले भूमि संबंधी बाधाओं को दूर करना भी जरूरी होगा।

निविदा में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा पर जोर...

शासन ने निविदा प्रक्रिया को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं, आदेश में कहा गया है कि निविदा समय-सीमा में की जाए तथा पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी हो, निविदा में पर्याप्त प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं,साथ ही उपलब्ध बजट आवंटन की सीमा के भीतर ही खर्च करने और स्वीकृत सीमा से अधिक व्यय नहीं करने को कहा गया है, सरकार ने निर्माण कार्य के अनुमान और कार्य संपादन में मितव्ययिता बरतने की बात भी कही है,यदि निविदा दर 10 प्रतिशत से अधिक प्राप्त होती है अथवा मूल प्रस्ताव में स्वीकृत मात्रा में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है,या कोई नया कार्य जोड़ा जाता है, तो उसके कारण अतिरिक्त वित्तीय दायित्व बनने की स्थिति में पुनरीक्षित शासकीय स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा।

लोकहित और वित्तीय अनुशासन की भी शर्त

आदेश में राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी नियमों एवं निर्देशों के अंतर्गत परियोजना की उपयोगिता का आकलन सुनिश्चित करने तथा प्रस्ताव को लोकहित की मूल भावना के अनुरूप रखने की बात कही गई है, तकनीकी पहलुओं,निर्माण स्थल की उपयुक्तता,गुणवत्ता, अनुमान की सटीकता,समय-सीमा,वित्तीय अनुशासन और लागू नियमों के पालन की जिम्मेदारी संबंधित शासकीय विभाग की होगी, परियोजना का खर्च मांग संख्या/शीर्ष 24/5054-(04)-(337)-0101-(2457) के अंतर्गत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम क्रमांक 97 के निर्माण कार्य से वहन किया जाना है, आदेश में यह भी निर्देश दिया गया है कि उक्त कार्य की निविदा संबंधी कार्रवाई मुख्य अभियंता कार्यालय में गठित निविदा प्रकोष्ठ के माध्यम से कराई जाए।

मुख्य अभियंता से लेकर कार्यपालन अभियंता तक भेजा गया आदेश

10 अगस्त 2026 को जारी इस आदेश की प्रतिलिपि संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है,इनमें लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता, सरगुजा परिक्षेत्र अंबिकापुर, अधीक्षण अभियंता अंबिकापुर मंडल तथा कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, मनेन्द्रगढ़ संभाग शामिल हैं। और गुणवत्ता के साथ होता है।

पंजीयन सुविधा से लेकर सड़क कनेक्टिविटी तक...

एमसीबी जिले के लिए इन दोनों घोषणाओं को स्थानीय स्तर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है,नवीन उप-पंजीयक कार्यालय से जहां लोगों को दस्तावेजों के पंजीयन संबंधी कार्यों के लिए सुविधा मिलने की उम्मीद है,वहीं दबुछोला-भुकभुकी से चिरमिरी मार्ग का चौड़ीकरण क्षेत्र की सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने वाली परियोजना के रूप में सामने आया है,स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अपने सोशल मीडिया संदेश में उप-पंजीयक कार्यालय की स्थापना को स्थानीय लोगों के लिए सुविधा बढ़ाने वाला कदम बताया है,दूसरी ओर,10 अगस्त को जारी लोक निर्माण विभाग के आदेश ने सड़क परियोजना के लिए वित्तीय स्वीकृति को आधिकारिक रूप दे दिया है, सड़क परियोजना के संबंध में सरकारी दस्तावेज में स्वीकृत राशि 11.8486 करोड़ है और आगे की प्रक्रिया तकनीकी स्वीकृति,भूमि उपलब्धता और निर्धारित निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद आगे बढ़ेगी, यानी एमसीबी में एक तरफ प्रशासनिक सुविधा के विस्तार का दावा है तो दूसरी तरफ सड़क अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए बजट का रास्ता खुला है,अब निगाह इस बात पर रहेगी कि कागज पर मिली इन स्वीकृतियों का जमीनी क्रियान्वयन कितनी तेजी,पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ होता है।

चिरमिरी की सड़कों पर मवेशियों का डेरा,अंधेरे में हादसों को दावत दे रहा निगम प्रशासन

आए दिन हो रहे हादसों से बिफरे पूर्व महापौर के. डोमरू रेड्डी ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में दर्ज कराई शिकायत

-संवाददाता-

चिरमिरी,12 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

नगर निगम चिरमिरी क्षेत्र के मुख्य मार्गों और व्यस्त चौक-चौराहों पर सड़कों के बीच मवेशियों का जमावड़ा शहरवासियों के लिए गंभीर परेशानी बनता जा रहा है, सड़क पर बैठे मवेशियों के कारण आए दिन वाहन चालक दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। खासकर रात के समय बंद या खराब स्ट्रीट लाइटों के कारण स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है,अंधेरे में सड़क पर बैठे मवेशी वाहन चालकों को दिखाई नहीं देते और अचानक सामने आने पर टक्कर की स्थिति बन जाती है,स्थानीय लोगों का आरोप है कि बार-बार शिकायतों और हादसों के बावजूद नगर निगम प्रशासन समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में गंभीरता नहीं दिखा रहा है।

शहर के कई हिस्सों में सड़कों पर मवेशियों का कब्जा- पूर्व महापौर के. डोमरू रेड्डी ने शहर में मवेशियों के जमावड़े वाले कई स्थानों को चिन्हित करते हुए प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है, उनके अनुसार साजा पहाड़ रोड पर मालवीय नगर में केराडोल नगर निगम पानी टंकी के सामने, सोनामनी क्षेत्र में काली मंदिर तिराहा,महाराणा प्रताप क्षत्रिय भवन के सामने साव होटल के पास और दादू लाहिड़ी चौक पर मवेशियों का जमावड़ा बना रहता है,इसी तरह डोमनहिल के बाजार तिराहा और जय स्तंभ,कोरिया कलरी में अंबेडकर चौक के सामने,पोड़ी बाजार,दीनदयाल चौक,नगर निगम कार्यालय के सामने मेन रोड, ग्राम पंचायत के सामने मेन रोड, जगन्नाथ मंदिर और पीएचई कार्यालय के सामने भी समस्या बताई गई है।

बाजार क्षेत्रों में भी यही हाल-मवेशियों की समस्या केवल मुख्य मार्गों तक सीमित नहीं है, बड़ा बाजार के सीताकुंड चौक और शिशु मंदिर के सामने तथा छोटा बाजार में एसएलआरएम सेंटर के पास भी मवेशियों के सड़कों पर बैठे रहने की बात कही गई है,वहीं बरतुगां के भगत सिंह चौक और साईं मंदिर के पास तथा हल्दीबाड़ी में भैंसा दफाई,सरगुजा समिति, सेठी क्लॉथ स्टोर,स्वर संगम और स्टेशन के आसपास भी मवेशियों का जमावड़ा लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत-लगातार सामने आ रही दुर्घटनाओं और नागरिकों की परेशानी को देखते हुए पूर्व महापौर के. डोमरू रेड्डी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ शासन की मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 में शिकायत दर्ज कराई है, उन्होंने मांग की है कि नगर निगम प्रशासन तत्काल सड़कों से मवेशियों को हटाने की कार्रवाई करे और उन्हें कांजी हाउस अथवा सुरक्षित गोशालाओं में स्थानांतरित किया जाए,पूर्व महापौर का कहना है कि समस्या का समाधान केवल अभियान चलाकर कुछ दिनों के लिए मवेशियों को हटाने से नहीं होगा,बल्कि नगर निगम को नियमित निगरानी और प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी, वहीं रात के समय बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों को दुरुस्त करना भी जरूरी है,ताकि सड़क पर बैठे मवेशी वाहन चालकों को समय रहते दिखाई दे सकें।

दैनिक घटती-घटना की खबर के बाद आयुष चिकित्सकों पर दबाव के आरोपों पर आया पक्ष

छत्तीसगढ़ आयुर्वेद अधिकारी संघ ने कहा...मतदान पूरी तरह स्वतंत्र,दबाव या अनुचित प्रभाव के आरोप निराधार

-न्यूज डेस्क-

अम्बिकापुर,12 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

आयुष चिकित्सकों के परिषद चुनाव में कथित दबाव और मतपत्र से मतदान को लेकर उठे सवालों के बीच अब छत्तीसगढ़ आयुर्वेद अधिकारी संघ का पक्ष सामने आया है, दैनिक घटती-घटना में प्रकाशित खबर के बाद संघ ने स्पष्ट किया है कि परिषद चुनाव में किसी भी आयुष चिकित्सक पर मतदान को लेकर दबाव,भय,प्रलोभन अथवा किसी प्रकार का अनुचित प्रभाव नहीं बनाया गया है, संघ ने इस तरह के आरोपों को निराधार और भ्रामक बताते हुए कहा है कि प्रत्येक चिकित्सक अपने विवेक और स्वतंत्र इच्छा के अनुसार मतदान करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। संघ की ओर से जारी पक्ष में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ आयुर्वेद तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद,रायपुर के परिषद चुनाव 2026 में छत्तीसगढ़ आयुर्वेद अधिकारी संघ द्वारा प्रदेश के प्रत्येक संभाग से अपने अधिकृत प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा गया है,संघ का कहना है कि उसका उद्देश्य प्रदेश के आयुर्वेद एवं संबंधित चिकित्सा पद्धतियों से जुड़े पंजीकृत चिकित्सकों के हितों को प्रभावी ढंग से परिषद के समक्ष रखना है,साथ ही परिषद की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और चिकित्सकों की सहभागिता को मजबूत करना भी संघ के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है।

17 सितंबर तक मताधिकार का प्रयोग-संघ के अनुसार परिषद चुनाव में जीवित एवं वैध रूप से पंजीकृत आयुष चिकित्सक 17 सितंबर 2026 तक प्राप्त बैलेट पेपर के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, संघ ने कहा है कि मतदान प्रत्येक चिकित्सक का स्वतंत्र और लोकतांत्रिक अधिकार है तथा किसी भी चिकित्सक पर किसी प्रकार का दबाव या अनुचित प्रभाव डालना संघ की भावना के पूरी तरह विपरीत है, संघ ने यह भी स्पष्ट किया कि बोर्ड अथवा परिषद सदस्य निर्वाचन के संबंध में संयुक्त जिला सरगुजा संभाग द्वारा आयुष चिकित्सकों से मतदान के लिए केवल लोकतांत्रिक अपील की गई है। इसे किसी चिकित्सक पर दबाव बनाने की कार्रवाई के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

प्रांताध्यक्ष ने आरोपों को बताया निराधार

छत्तीसगढ़ आयुर्वेद अधिकारी संघ के प्रांताध्यक्ष डॉ. गदाधर पंडा ने स्पष्ट किया कि किसी भी आयुष चिकित्सक पर मतदान के लिए दबाव,भय,प्रलोभन या अनुचित प्रभाव नहीं बनाया गया है। उन्होंने कहा कि सभी चिकित्सक अपने विवेक और स्वतंत्र इच्छा के अनुसार मतदान करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हैं, संघ ने कहा कि चिकित्सकों पर किसी भी प्रकार का दबाव बनाए जाने संबंधी आरोपों का सरगुजा संभाग संगठन पुरजोर खंडन करता है, संघ के मुताबिक संगठन लोकतांत्रिक मूल्यों, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया और प्रत्येक चिकित्सक के स्वतंत्र मताधिकार का पूर्ण सम्मान करता है।

चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता का दावा

परिषद चुनाव को लेकर सामने आए इस पक्ष के बाद अब पूरा मामला आरोप और प्रत्यारोप के बीच पहुंच गया है, एक ओर मतपत्र वितरण और चिकित्सकों पर कथित दबाव को लेकर सवाल उठाए गए थे,वहीं दूसरी ओर संबंधित संगठन ने किसी भी प्रकार के दबाव या अनुचित प्रभाव से साफ इनकार किया है, ऐसे में चुनाव प्रक्रिया की वास्तविक स्थिति मतदान पूरा होने और संबंधित रिकॉर्ड सामने आने के बाद ही पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल संघ ने अपने पक्ष में यह स्पष्ट संदेश दिया है कि चिकित्सकों को अपनी पसंद के प्रत्याशी के पक्ष में स्वतंत्र रूप से मतदान करने का अधिकार है और संगठन किसी प्रकार के दबाव की नीति का समर्थन नहीं करता, यह पक्ष छत्तीसगढ़ आयुर्वेद अधिकारी संघ की जिला शाखाओं–सरगुजा,सूरजपुर,बलरामपुर,कोरिया, एमसीबी और जशपुर (सरगुजा संभाग) की ओर से जारी किया गया है।

गरीब महिलाओं के नाम पर 'लोन में खेल' के आरोप,खड़गवां के बरदर क्लस्टर पर उठा सवाल

स्व-सहायता समूहों में ऋण वितरण और नए सदस्यों को जोड़ने की प्रक्रिया पर गंभीर आरोप,बैठक पुस्तिका और बैंक खातों के मिलान से सामने आ सकता है सच

राजेन्द्र शर्मा

खड़गवां,12 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

ग्रामीण गरीब महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से संचालित राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) की जमीनी व्यवस्था को लेकर खड़गवां जनपद क्षेत्र में गंभीर सवाल उठने लगे हैं, स्व-सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को आजीविका गतिविधियों के लिए ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था में कथित अनियमितता,ऋण वितरण में गड़बड़ी और नए सदस्यों को समूह से जोड़ने के नाम पर कथित लेन-देन के आरोप सामने आए हैं। सबसे ज्यादा सवाल बरदर क्लस्टर को लेकर उठ रहे हैं, हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। स्व-सहायता समूहों की व्यवस्था के तहत समूह की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति, बचत, ऋण वितरण, ऋण की वापसी और अन्य वित्तीय गतिविधियों का रिकॉर्ड रखा जाना होता है,ऐसे में यदि किसी समूह में ऋण वितरण में गड़बड़ी हुई है तो बैठक पुस्तिका,कैशबुक,ऋण रजिस्टर और बैंक खातों का मिलान कर वास्तविक स्थिति आसानी से सामने लाई जा सकती है।

गरीब महिलाओं की जानकारी के अभाव का फायदा उठाने का आरोप-आरोप है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक और शैक्षणिक रूप से कमजोर महिलाओं को बैंकिंग प्रक्रिया,ऋण स्वीकृति और समूह के वित्तीय रिकॉर्ड की पूरी जानकारी नहीं होने का कथित फायदा उठाया जा सकता है,महिलाओं को यह पता नहीं चल पाता कि समूह के रिकॉर्ड में उनके नाम पर कितनी राशि दर्ज है और वास्तव में उनके खाते में कितनी राशि पहुंची,यही वजह है कि

बरदर क्लस्टर सहित संदिग्ध समूहों के मामले में यह जांच महत्वपूर्ण हो जाती है कि समूह के रिकॉर्ड में दर्ज ऋण राशि और संबंधित महिला के बैंक खाते में पहुंची राशि एक समान है या नहीं, साथ ही यह भी देखा जाना जरूरी है कि ऋण का वितरण सभी सदस्यों की सहमति से हुआ या नहीं।

पीआरपी की भूमिका भी सवालों के घेरे में-सूत्रों के अनुसार समूहों में नए सदस्यों को जोड़ने और अन्य गतिविधियों से जुड़े पीआरपी को प्राप्त राशि में कथित हिस्सेदारी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि इस संबंध में भी अभी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, इस मामले में बरदर क्लस्टर की पीआरपी यशोदा मंडल से जब समूह की बैठक में महिलाओं से लोन संबंधी भ्रष्टाचार की जानकारी होने के संबंध में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 'मुझे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है, आपसे इस संबंध में जानकारी मिल रही है।' उनका यह बयान आरोपों की पुष्टि नहीं करता, बल्कि यह बताता है कि संबंधित पीआरपी ने ऐसी किसी जानकारी से अनभिज्ञता जताई है।

बैठक पुस्तिका और बैंक रिकॉर्ड की जांच जरूरी- बरदर क्लस्टर के स्व-सहायता समूहों की यदि निष्पक्ष जांच कराई जाती है तो सबसे पहले समूहों की बैठक पुस्तिका,कैशबुक,ऋण रजिस्टर, बैंक स्टेटमेंट,ऋण वितरण सूची और सदस्यों से संबंधित दस्तावेजों का परीक्षण किया जाना जरूरी होगा,इसके साथ ही महिला सदस्यों से अलग-अलग जानकारी लेकर यह पता लगाया जा सकता है कि रिकॉर्ड में दर्ज राशि वास्तव में उन्हें मिली या नहीं,सवाल यह भी है कि क्या विभागीय अधिकारियों और मिशन से जुड़े जिम्मेदार अमले ने नियमित रूप से समूहों का निरीक्षण किया? क्या समूह के दस्तावेजों का बैंक रिकॉर्ड से मिलान कराया गया? यदि निरीक्षण हुआ तो उसकी रिपोर्ट में क्या स्थिति सामने आई?

जांच हुई तो खुल सकती है कई परतें-

स्व-सहायता समूहों का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना है, ऐसे में यदि जांच के दौरान ऋण वितरण में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता, अनधिकृत राशि वसूली या कमीशनखोरी सामने आती है तो मामला गंभीर हो सकता है, वहीं केवल आरोप सामने आने के आधार पर किसी व्यक्ति या अधिकारी को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा, इसके लिए दस्तावेजी जांच और संबंधित पक्षों का पक्ष सामने आना जरूरी है, अब प्रमुख सवाल यही है कि क्या बरदर क्लस्टर के सभी स्व-सहायता समूहों के ऋण वितरण की विशेष जांच होगी? क्या बैठक पुस्तिका और बैंक खातों का मिलान कराया जाएगा? पीआरपी को प्राप्त राशि का पूरा हिसाब कौन सत्यापित करता है? और क्या महिला सदस्यों से सीधे पूछकर वास्तविक स्थिति सामने लाई जाएगी? यदि विभाग निष्पक्ष तरीके से दस्तावेजों के साथ जमीनी जांच कराता है तो आरोपों की वास्तविकता सामने आ सकती है, फिलहाल बरदर क्लस्टर में उठे सवालों का जवाब सरकारी जांच और दस्तावेजों के परीक्षण के बाद ही स्पष्ट होगा।

CMYK

कोमल से पहले गोविंदा ने 5 हसीनाओं से भी लड़ाया इश्क? एक की खातिर सुनीता आहूजा को छोड़ने के लिए थे तैयार

गोविंदा इन दिनों अपनी शादी में ट्रबल और कथित गर्लफ्रेंड कोमल को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। ये पहली बार नहीं है, जब सुपरस्टार का रोमांस चर्चा का विषय बना है। 90 के दशक के सुपरस्टार गोविंदा पत्नी सुनीता आहूजा की वजह से एक बार फिर से मीडिया की हेडलाइन बन चुके हैं। 63 साल के हीरो नंबर 1 के रोमांस की चर्चा चारों ओर है। कुछ दिनों पहले गोविंदा अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड कोमल रानी स्वर्णकार के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए,जिसके बाद उनकी लव लाइफ को लेकर चर्चाएं तेज हो गई।
यह पहली बार नहीं है,जब गोविंदा का नाम अपनी किसी को-स्टार के साथ जुड़ा है। इससे पहले अभिनेता का नाम किन बॉलीवुड अदाकाराओं के साथ लिंकअप किया गया, नीचे देखें उनकी लिस्ट।

नीलम कोठारी

नीलम कोठारी 90 के दशक की वह अदाकारा हैं,जिनका नाम बॉबी देओल से लेकर कई सितारों संग जुड़ा। इन्हीं में एक नाम गोविंदा का भी है। 1990 में गोविंदा ने खुलेआम यह बात कबूल की थी कि उन्होंने नीलम से शादी करने की खातिर सुनीता आहूजा से सगाई तोड़ने का निर्णय ले लिया था। हालांकि, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दोनों ने साथ में इल्जाम, लव 86, हत्या, खुदगर्ज, घर में राम गली में श्याम और दोस्त गरीबों का में साथ काम किया।

दिव्या भारती

90 के दशक की सबसे खूबसूरत अदाकारा कहीं जाने वाली दिव्या भारती के साथ भी गोविंदा के अफेयर के चर्चे रहे। दोनों ने साथ में शोला और शबनम में काम किया। शादीशुदा होने के बावजूद गोविंदा ने दिव्या भारती पर अट्रेक्शन होने की बात कही थी। हालांकि,दोनों के अफेयर की चर्चा महज एक अफवाह थी।

रानी मुखर्जी

रानी मुखर्जी और गोविंदा के अफेयर के चर्चे साल 2000 के दशक में शुरु हुए थे। दोनों की नजदीकियां फिल्म हद कर दी आपने कस दौरान बढ़ी थी। एक तरफ जहां ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री पसंद की जा रही थी,तो वहीं ऑफस्क्रीन भी बॉलीवुड के गलियारों में दोनों के अफेयर की चर्चाएं तेज हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि जब सुनीता आहूजा को गोविंदा और रानी के रिश्ते के बारे में पता चला तो उनकी शादीशुदा जिंदगी टूटने की कगार पर आ गई थी।

माधुरी दीक्षित

माधुरी दीक्षित और गोविंदा का एक-दूसरे से कभी अफेयर नहीं रहा,लेकिन लव एंगल से यह भी नहीं बच पाए। सुपरस्टार ने एक इंटरव्यू में सुनीता के सामने ये तक कह दिया था कि अगर उनकी जिंदगी में सुनीता नहीं होती,तो वह माधुरी दीक्षित पर ट्राय जरूर मारते,लेकिन असल जिंदगी में दोनों के बीच सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता ही रहा है।

रवीना टंडन

अक्षय कुमार और रवीना टंडन की प्रेम कहानी बॉलीवुड में काफी पॉपुलर है, लेकिन ये बात शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं कि मस्त-मस्त गर्ल का नाम गोविंदा से भी जुड़ चुका है। ऐसा कहा जाता है कि दोनों ने एक-दूसरे को कम समय के लिए,लेकिन डेट किया है। सुनीता आहूजा ने एक इंटरव्यू में यह बताया था कि रवीना हमेशा उनको मजाक में कहा करती थी कि चीची अगर तूने शादी नहीं की होती तो मैं तेरे से शादी कर लेती।

मौनी रॉय को लेकर फैली अफवाहों पर अर्जुन बिजलानी ने तोड़ी चुप्पी

टीवी और बॉलीवुड अभिनेत्री मौनी रॉय इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर लगातार सुर्खियों में हैं। सोशल मीडिया और कुछ गॉसिप प्लेटफॉर्म्स पर अभिनेत्री को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं चल रही हैं। इसी बीच उनके करीबी दोस्त और अभिनेता अर्जुन बिजलानी का नाम भी मौनी के साथ जोड़ा जाने लगा। दोनों के बीच रोमांटिक रिश्ते की अटकलों के बीच अर्जुन ने अब खुलकर सफाई दी है और ऐसी खबरों को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि किसी को मौनी की जिंदगी के बारे में इस तरह की बातें नहीं फैलानी चाहिए। दरअसल, हाल ही में अर्जुन बिजलानी और मौनी रॉय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था,जिसमें दोनों एक रेस्टोरेंट से बाहर निकलते दिखाई दिए। वीडियो के बाद कुछ सोशल मीडिया पेजों ने दोनों की दोस्ती को अलग नजरिए से पेश करते हुए उनके बीच डेटिंग की अटकलें शुरू कर दीं। देखते ही देखते यह चर्चा सोशल मीडिया पर फैल गई। अर्जुन ने इस तरह की खबरों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि करीब 15 साल पुरानी दोस्ती को इस तरह से रोमांटिक रिश्ते का नाम देना उचित नहीं है। कोई न कोई मौनी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा' अर्जुन ने मौनी के पक्ष में बात करते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि कोई न कोई अभिनेत्री को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मौनी उनकी बेहद करीबी दोस्त हैं और उनके साथ खड़े होना किसी खबर या सनसनी का विषय नहीं, बल्कि दोस्ती और इंसानियत का हिस्सा है। अभिनेता ने यह भी कहा कि मौनी इस समय अपनी जिंदगी के मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। ऐसे समय में उनके बारे में अफवाहें फैलाना और निजी जिंदगी को लेकर अटकलें लगाना उनके लिए परेशानी बढ़ाने वाला हो सकता है। अर्जुन ने मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से जिम्मेदारी के साथ रिपोर्टिंग करने की अपील की।
हर दोस्ती का रोमांटिक एंगल नहीं होता' अर्जुन बिजलानी ने खास तौर पर इस बात पर आपत्ति जताई कि महिला और पुरुष की दोस्ती को अक्सर रोमांटिक रिश्ते से जोड़ दिया जाता है। उन्होंने साफ कहा कि हर दोस्ती को प्रेम संबंध के नजरिए से देखना जरूरी नहीं है। उनके मुताबिक, मौनी के साथ उनकी दोस्ती लंबे समय से है और दोनों के बीच एक मजबूत बॉन्ड है। अर्जुन ने पहले भी सोशल मीडिया पर चल रही ऐसी अटकलों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि उनकी और मौनी की दोस्ती को सनसनीखेज तरीके से पेश किया जा रहा है। उन्होंने इस तरह की खबरों को क्लिकबेट करार देते हुए कहा कि किसी भी दोस्ती में रोमांटिक एंगल तलाशना सही नहीं है। मौनी को लेकर कई तरह की चर्चाएं अर्जुन के मुताबिक, हाल के दिनों में मौनी को लेकर केवल उनके रिश्ते से संबंधित ही बातें नहीं फैलाई गईं, बल्कि उनकी निजी जिंदगी और व्यक्तिगत पसंद को लेकर भी टिप्पणियां की गईं। उन्होंने बताया कि अभिनेत्री की सेक्सुअलिटी को लेकर भी टिप्पणियां सामने आईं और इसके बाद उनके शराब पीने को लेकर बातें कही गईं। अर्जुन ने इन बातों को अनुचित बताते हुए कहा कि किसी व्यक्ति के निजी जीवन और पार्टी करने जैसी सामान्य चीजों को लेकर इस तरह की चर्चा करना सही नहीं है।

उर्मिल मातोंडकर के एक्स पति ने किया दूसरी शादी का रिसेप्शन

टूटा रंगीला गर्ल का दिल; मारा खुलेआम ताना!

उर्मिल मातोंडकर ने एक्स हसबैंड मोहसिन अख्तर के दूसरी पत्नी के लिए प्यार भरे पोस्ट को देखने के बाद इंस्टाग्राम पर क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया है। उर्मिला मातोंडकर वैसे तो अपनी निजी जिंदगी को पब्लिक लाइमलाइट से बिल्कुल दूर रखती हैं, लेकिन हाल ही में एक्ट्रेस के एक क्रिप्टिक पोस्ट ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। बीते दिन उर्मिला के एक्स हसबैंड ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर अपनी दूसरी पत्नी निदा पर प्यार लुटाया था।मोहसिन अख्तर के लिखे कैप्शन को देखकर सोशल मीडिया पर यूजर्स ने तो उन्हें ताना मारा ही था, लेकिन अब उर्मिला मातोंडकर भी एक ऐसा क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया है, जिसे लो उर्मिला के एक्स हसबैंड से जोड़ रहे हैं।

उर्मिला के क्रिप्टिक पोस्ट ने खींचा ध्यान

एक्स हसबैंड मोहसिन के पोस्ट के बीच उर्मिला मातोंडकर ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, मुझे महंगी चीजें बहुत पसंद हैं, जो प्यार, ईमानदारी और समय है। रंगीला एक्ट्रेस का यह रिएक्शन तब आया, जब बीते दिन मोहसिन ने अपनी दूसरी पत्नी निदा भट्ट पर प्यार लुटाते हुए कैप्शन में लिखा था, आप मेरे लिए सिर्फ मेरी पत्नी नहीं बनी,बल्कि मेरा घर, मेरी शांति और मेरी जिंदगी का सबसे प्यारा हिस्सा हो। मोहसिन ने आगे लिखा,मैं अल्लाह को धन्यवाद देता हूं कि वह मेरी जिंदगी में तुम्हें लाया। मेरा तुमसे ये वादा है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, हर पल इस पल का जश्न मनाऊंगा और जिंदगी के इस सफर में हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। हम दोनों साथ में मिलकर एक खूबसूरत जीवन बनाएंगे।

लव स्टोरी में आया ट्विस्ट! शालीन और ईशा ने इंस्टाग्राम पर किया एक-दूसरे को अनफॉलो

टीवी इंडस्ट्री के चर्चित नाम शालिन भनोट और ईशा सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं। दोनों के बीच डेटिंग की खबरें लंबे समय से चर्चा में थीं, लेकिन अब सोशल मीडिया पर एक-दूसरे को अनफॉलो करने के बाद उनके रिश्ते को लेकर नई अटकलें शुरू हो गई हैं।

डेटिंग की खबरों के बीच अनफॉलो

शालिन और ईशा के एक-दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो करने की खबर सामने आते ही फैंस और सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। दोनों की नजदीकियों को लेकर पहले से चल रही चर्चाओं के बीच यह बदलाव लोगों के लिए हैरान करने वाला रहा। अनफॉलो करने की वजह दोनों ने सार्वजनिक रूप से नहीं बताई है। इसलिए इसे उनके रिश्ते के खत्म होने की पुष्टि मानना जल्दबाजी होगी।

सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या कहा?

दोनों के अनफॉलो करने के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आईं। कुछ यूजर्स ने सवाल किया, 'क्या लव स्टोरी खत्म हो गई?',जबकि कुछ लोगों ने इसे महज सोशल मीडिया से जुड़ा व्यक्तिगत फैसला बताया। फैंस अब दोनों की ओर से किसी आधिकारिक बयान का इंतजार कर रहे हैं।

रिश्ते को लेकर पहले भी हुई चर्चा

शालिन भनोट और ईशा सिंह के बीच नजदीकियों की खबरें एंटरटेनमेंट जगत में पहले भी चर्चा का विषय रही हैं। दोनों को साथ देखे जाने और सोशल मीडिया पर एक-दूसरे के साथ तस्वीरें साझा करने के बाद उनके रिश्ते को लेकर अटकलें लगाई जाती रही हैं। फिलहाल दोनों के रिश्ते की मौजूदा स्थिति स्पष्ट नहीं है और सिर्फ इंस्टाग्राम अनफॉलो के आधार पर ब्रेकअप की पुष्टि नहीं की जा सकती।

खेल समाचार

टीम इंडिया के ये 5 खिलाड़ी श्रीलंका के नाक में कर देंगे दम

नई दिल्ली,12 अगस्त 2026। 15 अगस्त 2026 से भारत का श्रीलंका दौरा शुरू हो रहा है, जहां दोनों टीमों के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से एक बेहद अहम टेस्ट सीरीज खेली जानी है। जसप्रीत बुमराह और अन्य कई सीनियर खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी में एक युवा और नई भारतीय टीम श्रीलंका के टर्निंग ट्रैक्स पर अपना दबदबा साबित करने उतरेगी। हालांकि,भारतीय टीम में 5 ऐसे मैच-विनर खिलाड़ी मौजूद हैं जो अकेले दम पर श्रीलंका के लिए काल साबित हो सकते हैं।

मोहम्मद सिराज

जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी में मोहम्मद सिराज अब भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण के मुख्य हथियार हैं। श्रीलंकाई पिचों पर जहां अमूमन तेज गेंदबाजों को मदद कम मिलती है, वहां सिराज अपनी रिवर्स स्विंग से पुरानी गेंद के साथ कहर ढा सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि सिराज ने अभ्यास मैच में महज 15 गेंदों में नाबाद 32 रन ठोककर यह भी दिखा दिया कि वे बल्ले से भी श्रीलंका के लिए अप्रत्याशित खतरा साबित हो सकते हैं।

रवींद्र जडेजा

अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा इस युवा भारतीय टीम के सबसे बड़े मजबूत स्तंभ हैं। श्रीलंका की धीमी और टर्न होती पिचों पर उनकी सटीकता बल्लेबाजों को सांस लेने तक का मौका नहीं देती। जडेजा की गेंदें इतनी सटीक होती हैं कि बल्लेबाज गलती करने पर मजबूर हो जाते हैं। इसके अलावा, निचले क्रम में उनकी मजबूत बल्लेबाजी टीम इंडिया को बेहतरीन संतुलन प्रदान करती है।

ऋषभ पंत

मिडिल ऑर्डर में ऋषभ पंत भारत के सबसे बड़े एक्स-फैक्टर हैं। स्पिन होती गेंदों के खिलाफ काउंटर-अटैक करने की उनकी क्षमता विपक्षी कप्तान को तुरंत रक्षात्मक फील्ड लगाने पर मजबूर कर देती है। भले ही अभ्यास मैच में वे बड़ी पारी न खेल पाए हों, लेकिन मुश्किल परिस्थितियों में अकेले दम पर मैच का पासा पलटने का हुनर उन्हें श्रीलंका के खिलाफ सबसे खतरनाक बल्लेबाज बनाता है।

यशस्वी जायसवाल

ओपनर यशस्वी जायसवाल का आक्रामक अंदाज श्रीलंकाई स्पिनरों की लाइन और लेंथ बिगाड़ने के लिए काफी है। टेस्ट क्रिकेट में 48.75 के शानदार औसत से रन बनाने वाले इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने अभ्यास मैच में भी 61 रनों की बेहतरीन पारी खेली। गाले और कोलंबो की स्पिन फ्रेंडली पिचों पर नई गेंद और शुरुआती ओवरों में जयसूर्या और तीक्ष्णा पर दबाव बनाने का पूरा जिम्मा जायसवाल के कंधों पर होगा।

शुभमन गिल

भारतीय टेस्ट टीम के नए कप्तान शुभमन गिल के लिए यह दौरा बेहद खास है। बतौर कप्तान विदेशी सरजमीं पर यह उनका पहला बड़ा टेस्ट है। हालांकि, कप्तानी के साथ-साथ बल्लेबाजी में भी वे श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनने वाले हैं। हाल ही में अपनी उंगली की चोट से उबरते हुए गिल ने कोलंबो में खेले गए अभ्यास मैच में ताबड़तोड़ 44 रन बनाए। स्पिन के खिलाफ पैरों का बेहतरीन इस्तेमाल करने की उनकी काबिलियत प्रभात जयसूर्या जैसे श्रीलंकाई स्पिनरों के खिलाफ बेहद कारगर साबित होगी।

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी कटघोरा वनमण्डल,छत्तीसगढ़

कटघोरा वनमण्डल अंतर्गत कसनिया डिपों में होने वाले ई-नीलाम के लिये प्रस्तावित जांजगीर चाम्पा वनमण्डल के विभिन्न डिपो में रखे गये वनोपज के नीलाम हेतु मात्रा की जानकारी

नीलाम दिनांक 18.08.2026

अ.क्र.	डिपो का नाम	प्रजाति	पिछले नीलाम का शेष						
			लट्ठा		बल्ली/डेंगरी		जलाऊ	बांस	
			नग	घ.मी	नग	घ.मी	चट्ठा	नग	नो. टन
1	निस्तार डिपो सक्ती	अन्य	82	12.369	3	0.108			
		सागौन	50	4.100	1	0.013			
		साल			6	0.168			
		सतकठा					57		
2	अकलतरा डिपो	सागौन	29	3.846	384	3.127			
		नीलगिरी			739	8.671			
		सतकठा							
		आद्यो.बांस						70	0.044
3	जांजगीर	सागौन	16	0.943	4	0.046			
		अन्य	184	26.511					
		सतकठा					114		
4	पंतोरा डिपो	तेंदू	130	20.861					
		साजा	45	9.337					
		अन्य	30	4.174					
		हल्दू	6	1.059					
		बीजा	4	0.572					
		साल	39	6.045	6	0.027			
		सागौन			6	0.101			
		सतकठा					1		
योग			615	89.817	1149	12.261	172	70	0.044

टीप -1. केता को ई-ऑक्सन के पूर्व MSTC E-commerce पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है।
2. क्रेताओं को ई-ऑक्सन के पूर्व कय लॉटों के अपसेट प्राईज मूल्य के 10 प्रतिशत की राशि अपने वॉलेट में रखना अनिवार्य है, सफल बोलीदार को एक सप्ताह के भीतर 15 प्रतिशत EMD की राशि जमा करना अनिवार्य है।
3. लॉट की थप्पी एवं फोटो MSTC E-commerce पोर्टल में अपने आई डी से लॉगईन करके देख सकते है।
4 ई-ऑक्शन में लॉट कय के पश्चात प्रथम केता को 40 सेकण्ड का समय प्राप्त होगा, उसी लॉट में अन्य केताओं द्वारा 40 सेकण्ड पूर्व कय करने पर 30 सेकण्ड का समय प्राप्त होगा।

जी.नं.-262702717/3

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल कटघोरा

ट्रिपल ट्रबल' ने मचाया धमाल विहा गहोत्रा और अनन्या मेहता ने जीता गोल्ड मेडल

मुंबई,12 अगस्त 2026। मुंबई की युवा ब्रिज खिलाड़ियों विहा गहोत्रा और अनन्या मेहता ने 2026 वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल ब्रिज चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 'ट्रिपल ट्रबल' टीम के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उनकी इस उपलब्धि से भारतीय ब्रिज जगत में खुशी का माहौल है। विहा और अनन्या ने अपनी टीम के साथ प्रतियोगिता में बेहतरीन तालमेल और रणनीतिक खेल का प्रदर्शन किया।

न्यायालय-डी0एस0बघेल,प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी सूरजपुर

ईश्तहार

प्रोसेस नम्बर - 275/26
उ0प्र0क्र0 - 39/2026
पेशी तिथि - 27/08/2026

लक्ष्मनिया आ. बृजलाल आयु लगभग 34 वर्ष, जाति रजवार, पेशा कृषि, निवासी ग्राम कपसरा, थाना भटगांव, जिला सूरजपुर (छ0ग0)

....आवेदिका

प्रति,
1.भारतीय स्टेट बैंक शाखा भटगांव, जिला सूरजपुर (छ0ग0)।
2.आम जनता ग्राम कपसरा, थाना भटगांव, जिला सूरजपुर (छ0ग0)

....अनावेदकगण

::बनाम::

इस ईश्तहार के जरिये अनावेदकगण व आम जनता सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि छोटे भाई की पुत्री आवेदिका मृतक मनोहर की निःसंतान मृत्यु दिनांक 21.01.2021 को हो चुकी है। आवेदिका के बड़े पापा स्व. मनोहर की मृत्यु के पश्चात् उसके उत्तराधिकारी, आवेदिका हैं, जो इस न्यायालय में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र बावत् आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 372 भा0 उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत किये हैं। आवेदिका के बड़े पापा स्व. मनोहर की मृत्यु के पश्चात् स्व. मनोहर के नाम से अनावेदकगण क्रमांक 01 भारतीय स्टेट बैंक शाखा भटगांव, जिला सूरजपुर (छ0ग0), के पास जमा धनराशि, ब्याज सहित प्राप्त करने हेतु, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की आवश्यकता, आवेदिका को है।आवेदिका के बड़े पापा स्व. मनोहर जाति रजवार, निवासी ग्राम कपसरा, थाना भटगांव, जिला सूरजपुर (छ0ग0) की मृत्यु के पश्चात् प्रथम उत्तराधिकारी आवेदिका ही हैं।

यदि कोई व्यक्ति कोई दावा या हक रखते हैं, तो कैफियत के साथ पेशी दिनांक 27.08.2026 को दिन के ठीक 11:00 बजे इस न्यायालय में स्वतः अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हों।

अतः आप बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं, तो, आपके विरूद्ध, प्रकरण का निपटारा आपके अनुपस्थिति में किया जायेगा। यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है या कार्य दिवस स्थगित हो, जाता है, तो प्रकरण की सुनवाई आगामी तिथि को किया जावेगा।

आज दिनांक 07/07/2026 को इस न्यायालय कि मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

स्थान- सूरजपुर
दिनांक-07/07/2026

(डी0एस0 बघेल)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी
सूरजपुर,जिला सूरजपुर (छ.ग)

सील

खाद्य सुरक्षा विभाग में 'नियम' की जगह चल रहा पदोन्नति का खेल?

खाद्य सुरक्षा विभाग में पदोन्नति का 'फॉर्मूला' सवालों में केंद्रीय कानून के सामने राज्य के नियम कितने वैध ?

12वीं पास नमूना सहायक से FSO तक का रास्ता किस नियम से ? उठे गंभीर सवाल

- FSO की कुर्सी पर किसका हक? भर्ती से ज्यादा पदोन्नति पर जोर, नियमों की वैधानिकता पर सवाल...
- खाद्य सुरक्षा विभाग में 10% से 25% पदोन्नति कोटा तक का खेल! नमूना सहायक को तकनीकी पद देने पर सवाल
- संसदीय कानून बनाम विभागीय नियम, नमूना सहायक से FSO बनाने की प्रक्रिया कटघरे में...
- FSO की कमी या पदोन्नति की जल्दबाजी? डीपीसी की भूमिका और नियमों पर उठे सवाल...
- नियमों की किताब में FSO, विभाग में पदोन्नति का दूसरा रास्ता! आखिर किस आधार पर?

खाद्य सुरक्षा विभाग में 'योग्यता' की परीक्षा या 'सेवा अवधि' का सहारा? पदोन्नति व्यवस्था पर सवाल

सरल के पद पर किसका रास्ता साफ? केंद्रीय नियम, राज्य भर्ती व्यवस्था और डीपीसी आमने-सामने

चपरासी से नमूना सहायक और फिर FSO? विभागीय पदोन्नति व्यवस्था की वैधानिकता पर बड़ा सवाल

-न्यूज डेस्क-

रायपुर,12 अगस्त 2026 (घटती-घटना)। आम आदमी के खाने की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया खाद्य सुरक्षा विभाग खुद अपनी नियुक्ति और पदोन्नति व्यवस्था को लेकर सवालों के घेरे में है, मामला केवल किसी एक कर्मचारी को पदोन्नति देने या किसी एक डीपीसी के निर्णय तक सीमित नहीं है, सवाल उस पूरी व्यवस्था पर उठ रहा है जिसके तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारी जैसे वैधानिक और तकनीकी पद पर पहुंचने का रास्ता किन नियमों से तय किया जा रहा है। शिकायत और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नमूना सहायक जैसे पद से खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए स्पष्ट वैधानिक व्यवस्था मौजूद है? यदि है तो उसका नियम क्या है, आदेश कब जारी हुआ, उसमें निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव क्या है तथा उसे किस सक्षम प्राधिकारी ने स्वीकृति दी? और यदि ऐसी व्यवस्था नहीं है तो फिर अब तक की पदोन्नतियों का आधार क्या रहा? यह सवाल इसलिए भी गंभीर है क्योंकि खाद्य सुरक्षा अधिकारी कोई सामान्य लिपिकीय अथवा प्रशासनिक पद नहीं है, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 37 में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का स्पष्ट प्रावधान है और धारा 38 में उसे प्रदत्त शक्तियों का उल्लेख है, अधिनियम की धारा 36 नामित अधिकारी तथा धारा 45 खाद्य विश्लेषक से संबंधित है।

संसदीय कानून के तहत बना खाद्य सुरक्षा का पूरा ढांचा

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 एक केंद्रीय अधिनियम है, जिसका उद्देश्य खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक तय करना और उनके निर्माण,भंडारण, वितरण, बिक्री एवं आयात को नियंत्रित करते हुए सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन सुनिश्चित करना है,इंडिया कोड में इसे केंद्रीय अधिनियम के रूप में दर्ज किया गया है,इसी अधिनियम के तहत भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी एफएसएसआई की स्थापना हुई, खाद्य सुरक्षा से संबंधित नियम, विनियम,मानक और तकनीकी व्यवस्था इसी केंद्रीय कानूनी ढांचे के अंतर्गत विकसित होती है,अधिनियम की धारा 91 केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति देती है,धारा 92 खाद्य प्राधिकरण को विनियम बनाने की शक्ति से संबंधित है,धारा 93 नियमों एवं विनियमों को संसद के समक्ष रखने का प्रावधान करती है,जबकि धारा 94 राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति देती है। इसलिए यह कहना कि राज्य सरकार की नियम बनाने की कोई शक्ति नहीं है,पूरी तरह सही नहीं होगा,असली जांच यह है कि राज्य द्वारा बनाए गए सेवा एवं भर्ती नियम केंद्रीय अधिनियम और उसके अधीन लागू नियमों के अनुरूप हैं या नहीं।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी कोई सामान्य पद नहीं...

खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अधिनियम की धारा 37 के तहत नियुक्त किया गया है, नियम 2.1.3 में खाद्य सुरक्षा अधिकारी की योग्यता एवं निर्देश से संबंधित प्रोविजन दिये गये हैं,एफएसएसएआई की आधिकारिक वेबसाइट पर खाद्य सुरक्षा और मानक नियम,2011 और बाद में खाद्य सुरक्षा अधिकारी की योग्यता से संबंधित सूचनाएं भी उपलब्ध हैं, (एफएसएसएआई) खाद्य सुरक्षा अधिकारी के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता का महत्व इसलिए है क्योंकि इस पद के माध्यम से खाद्य सुरक्षा कानून को जमीन पर लागू किया जाता है,खाद्य सुरक्षा अधिकारी का निरीक्षण,नमूना निर्धारण, जांच,खाद्य कानून के उल्लंघन की कार्रवाई और अन्य वैधानिक जिम्मेदारियां निभाई जाती हैं, इसलिए इस पद की योग्यता को केवल सामान्य प्रक्रिया के अनुरूप नहीं देखा जा सकता।

12वीं पास से तकनीकी पद तक पहुंचने की राह?

शिकायत में दावा किया गया है कि नमूना सहायक पद पर 12वीं पास योग्यता वाले कर्मचारी भी कार्यरत रहे हैं और इन्हीं में से कुछ को खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद पर पदोन्नति देने की प्रक्रिया अपनाई गई,यदि यह तथ्य दस्तावेजों से सही साबित होता है तो यह सवाल और बड़ा हो जाता है कि क्या केवल विभाग में लंबे समय तक सेवा करना खाद्य सुरक्षा अधिकारी जैसे तकनीकी पद के लिए पर्याप्त माना गया? यदि नहीं, तो आवश्यक तकनीकी योग्यता का परीक्षण कैसे हुआ? और यदि हां,तो उस व्यवस्था का नियम क्या है? यहां किसी कर्मचारी की शैक्षणिक योग्यता को आधार बनाकर उसे व्यक्तिगत रूप से अयोग्य घोषित करना उचित नहीं होगा,असली मुद्दा यह है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद की निर्धारित योग्यता और विभागीय पदोन्नति के नियमों के बीच वास्तविक संबंध क्या है।

10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक पदोन्नति कोटे का रहस्य-

पूरे मामले में 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत पदोन्नति कोटा किए जाने की बात भी सामने आई है, यदि यह संशोधन हुआ है तो विभाग को यह स्पष्ट करना चाहिए कि 10 प्रतिशत पदोन्नति कोटा किस आदेश से था? 25 प्रतिशत किस आदेश से हुआ? आदेश की तारीख क्या है? किस सक्षम प्राधिकारी ने इसे स्वीकृत किया? क्या यह राजपत्र में प्रकाशित हुआ? क्या इसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी की केंद्रीय योग्यता का परीक्षण किया गया? क्या पदोन्नति कोटे में किन-किन पदों को पात्र माना गया? इन सवालों का उत्तर मिलते ही विवाद का एक बड़ा हिस्सा स्वतः स्पष्ट हो सकता है।

'नियम' किसने पढ़े और किसने समझे?

यहां मामला केवल इतना नहीं है कि डीपीसी ने क्या निर्णय लिया, बड़ा सवाल यह है कि डीपीसी को जो प्रस्ताव दिया गया,उसमें नियमों की व्याख्या किसने की? क्या स्थापना शाखा ने संबंधित केंद्रीय कानून का परीक्षण किया? क्या विभागीय विधि अधिकारी से राय ली? क्या शासन स्तर पर यह परीक्षण हुआ कि प्रस्तावित पदोन्नति केंद्रीय कानून के अनुरूप है? क्या नोटशीट में संभावित कानूनी विवाद की संभावना का उल्लेख किया गया? क्योंकि यदि बाद में यही मामला न्यायालय में जाता है तो पूरी फाइल की नोटशीट यह तय करेगी कि निर्णय किस आधार पर लिया गया था।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी की कमी का मुद्दा भी महत्वपूर्ण

यदि विभाग में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद लंबे समय से रिक्त हैं तो इसका सीधा प्रभाव खाद्य सुरक्षा की निगरानी पर पड़ सकता है,खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण, नमूना संग्रह, लाइसेंसिंग व्यवस्था में सहयोग, मिलावट की जांच और कानून के तहत कार्रवाई के लिए पर्याप्त संख्या में सक्षम अधिकारी आवश्यक हैं,इसलिए सरकार को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि विभाग में वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के कितने स्वीकृत पद हैं,कितने कार्यरत हैं और कितने रिक्त हैं,यदि पद रिक्त हैं तो उनकी भर्ती कब होगी? क्या पदोन्नति से सभी रिक्तियां भरना समाधान है या सीधी भर्ती भी आवश्यक है?

नमूना सहायक का वास्तविक काम क्या है?

यह सवाल भी जांच का विषय है कि नमूना सहायक के पद पर कार्यरत कर्मचारियों से वास्तव में कौन-कौन से कार्य लिए जाते हैं,क्या उनका कार्य केवल सैंपलिंग प्रक्रिया में तकनीकी सहयोग तक सीमित है? क्या उन्हें खाद्य सुरक्षा अधिकारी के समान वैधानिक शक्तियां प्राप्त हैं? क्या वे स्वतंत्र रूप से निरीक्षण कर सकते हैं? क्या वे वैधानिक नमूना ले सकते हैं? क्या वे किसी खाद्य प्रतिष्ठान के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिकारी की तरह कार्रवाई कर सकते हैं? क्या उनके कार्यों का स्पष्ट विभागीय जॉब चार्ट मौजूद है? यदि नमूना सहायक और खाद्य सुरक्षा अधिकारी की जिम्मेदारियों में स्पष्ट अंतर है तो फिर पदोन्नति के समय उस अंतर को किस तरह समाप्त किया जाता है—यह जानना आवश्यक है।

अब सवाल है की नमूना सहायक कहां से आया?

पूरे विवाद का सबसे बड़ा बिंदु यही है, शिकायतकर्ता का कहना है कि नमूना सहायक नाम का पद खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 में खाद्य सुरक्षा अधिकारी की तरह वैधानिक तकनीकी पद के रूप में परिभाषित नहीं है,यदि ऐसा है तो फिर नमूना सहायक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन किस नियम का सहारा ले रहा है? क्या राज्य के भर्ती नियम में स्पष्ट रूप से लिखा है कि नमूना सहायक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र होगा? यदि लिखा है तो वह नियम कब बना? उस समय केंद्रीय अधिनियम और एफएसएसएआई के नियमों का परीक्षण किस अधिकारी ने किया? क्या उस नियम के लिए विधि विभाग की राय ली गई? क्या वित्त विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग से अनुमोदन लिया गया? क्या नियम का राजपत्र प्रकाशन हुआ? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या डीपीसी ने पदोन्नति से पहले संबंधित कर्मचारी की शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी दक्षता तथा खाद्य सुरक्षा कानून के अनुभव का परीक्षण किया? इन सवालों का उत्तर विभागीय रिकॉर्ड से ही मिल सकता है।

16 जनवरी 2023 के दावे से आगे भी दस्तावेज देखना जरूरी

शिकायत में 16 जनवरी 2023 के भारत सरकार के गैजेट का उल्लेख किया गया है और उससे खाद्य सुरक्षा अधिकारी तथा अभिहित अधिकारी की योग्यता एवं अनुभव संबंधी व्यवस्था जोड़कर सवाल उठाए गए हैं, हालांकि उपलब्ध आधिकारिक एफएसएसएसएआई रिकॉर्ड में खाद्य सुरक्षा अधिकारी की योग्यता से संबंधित प्रमुख अधिसूचना 21 सितंबर 2023 की दिखाई देती है, जिसे बाद में 2025 में भी संशोधित किया गया, एफएसएसएआई ने 28 मार्च 2025 को कुछ अतिरिक्त चिकित्सा विषयों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी के लिए मान्य पाठ्यक्रमों में शामिल करने संबंधी अधिसूचना प्रकाशित की, इसलिए 16 जनवरी 2023 वाले दस्तावेज की वास्तविक विषयवस्तु और उसका वर्तमान पदोन्नति विवाद से संबंध मूल गैजेट के आधार पर ही जांचना होगा, केवल तारीख के आधार पर निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा।

अभिहित अधिकारी के लिए पांच साल का अनुभव—लेकिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी का क्या?- यहां एक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आता है, खाद्य सुरक्षा और मानक नियम के नियम 2.1.2 में नामित अधिकारी के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में कम से कम पांच साल का अनुभव रखने की पात्रता का प्रावधान है, साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त व्यक्ति को भी निर्धारित योग्यता के अनुरूप होना चाहिए, यानी केंद्रीय नियमों में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के अनुभव को ऊपर के पद के लिए महत्व दिया गया है, जाहिर से एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि जब केंद्रीय नियम नामित अधिकारी जैसे उच्च पद के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी के अनुभव को महत्व देते हैं, तब खाद्य सुरक्षा अधिकारी के मूल तकनीकी पद पर पहुंचने के लिए राज्य की पदोन्नति व्यवस्था में किस प्रकार का अनुभव और योग्यता निर्धारित की गई है? यही वह कड़ी है जिसकी जांच आवश्यक है।

क्या खाद्य सुरक्षा अधिकारी की सीधी भर्ती हुई?- शिकायतकर्ता ने एक और महत्वपूर्ण सवाल उठाया है—जब विभाग में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद रिक्त हैं तो इन पदों की सीधी भर्ती के लिए क्या किया गया? क्या स्थापना शाखा ने रिक्त पदों का आकलन किया? क्या भर्ती का प्रस्ताव भेजा? कितने पदों का प्रस्ताव भेजा? क्या खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद को प्राथमिकता सूची में रखा गया? यदि नहीं रखा गया तो क्यों? और यदि पदोन्नति से पद भरे जा रहे हैं तो सीधी भर्ती के हिस्से को कैसे निर्धारित किया गया? यह जानकारी विभाग की स्थापना शाखा की फाइल से सामने आ सकती है।

क्या युवाओं के लिए रास्ता बंद हो रहा है?- खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनने के लिए देशभर में विभिन्न तकनीकी और विज्ञान आधारित पाठ्यक्रमों से आने वाले युवा पात्र होते हैं, एफएसएसएआई समय-समय पर मान्य योग्यताओं को अधिसूचित करता है, 2023 की अधिसूचना और 2025 के संशोधन इसका उदाहरण हैं,ऐसे में यदि किसी राज्य में विभागीय पदोन्नति के माध्यम से बड़ी संख्या में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद भरे जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठेगा कि सीधी भर्ती और पदोन्नति के बीच अनुपात क्या है,युवाओं की दृष्टि से सवाल यह है कि वे वर्षों तक तकनीकी शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें या विभागीय पदोन्नति का रास्ता उनके लिए उपलब्ध नहीं होने के कारण अलग रास्ता चुनें? इसका समाधान केवल स्पष्ट भर्ती नियमों से हो सकता है।

क्या डीपीसी में खाद्य सुरक्षा का विशेषज्ञ था?- पूरे विवाद का एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रश्न डीपीसी से जुड़ा है, यदि खाद्य सुरक्षा अधिकारी तकनीकी पद है तो डीपीसी में बैठे अधिकारियों को संबंधित केंद्रीय कानून, नियम और राज्य के भर्ती नियमों का ज्ञान होना चाहिए, क्या डीपीसी में खाद्य सुरक्षा के मूल कैडर का अधिकारी था? क्या उसने नियमों की व्याख्या की? क्या नोटशीट में यह लिखा गया कि संबंधित कर्मचारी खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद के लिए केंद्रीय योग्यता पूरी करता है? क्या किसी अधिकारी ने आपत्ति दर्ज की? क्या किसी ने यह लिखा कि नमूना सहायक का पद खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद पर पदोन्नति के लिए नियमों में पात्र है? क्या एफएसएसएआई की अधिसूचनाओं का संदर्भ फाइल में लगाया गया? यदि इन सवालों का जवाब रिकॉर्ड में मौजूद है तो विभाग के पास अपनी व्यवस्था को स्पष्ट करने का सबसे मजबूत आधार होगा।

चपरासी से नमूना सहायक और फिर खाद्य सुरक्षा अधिकारी वाली बहस- शिकायत में एक बेहद तीखा सवाल उठाया गया है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तकनीकी पदों की मूल भर्ती व्यवस्था कमजोर होती चली जाए—पहले सामान्य पद पर नियुक्ति हो,वर्षों बाद नमूना सहायक बनाया जाए और फिर सेवा अवधि के आधार पर तकनीकी पद तक पहुंचने का रास्ता खुल जाए,यदि ऐसा कोई वास्तविक सेवा नियम है तो उसका परीक्षण होना चाहिए,लेकिन यदि ऐसा नियम नहीं है और इस प्रकार की पदोन्नति केवल विभागीय आदेशों की व्याख्या पर आधारित है तो मामला और गंभीर हो जाता है, क्योंकि तब सवाल किसी व्यक्ति की पदोन्नति का नहीं बल्कि पूरे कैडर निर्माण की वैधानिकता का होगा।

दूसरे राज्यों में व्यवस्था कैसी है?- शिकायतकर्ता का कहना है कि कई राज्यों में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पदों को राजपत्रित पद मानते हुए लोक सेवा आयोग अथवा अन्य प्रतिस्पर्धी भर्ती प्रक्रिया से भरा जाता है,इस दावे की राज्यवार पुष्टि अलग से आवश्यक होगी, लेकिन यह तुलना निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है,यदि अधिकांश राज्यों में तकनीकी पदों की सीधी भर्ती को प्राथमिकता दी जा रही है और छत्तीसगढ़ में विभागीय पदोन्नति के माध्यम से अलग मॉडल अपनाया गया है तो दोनों व्यवस्थाओं की तुलना की जानी चाहिए,सवाल यह नहीं कि कौन सा मॉडल सही है, सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ का मॉडल किस विधिक आधार पर बना है।

एफएसएसएआई के केंद्रीय ढांचे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता- एफएसएसएआई की आधिकारिक वेबसाइट पर खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011, खाद्य सुरक्षा अधिकारी की योग्यता संबंधी अधिसूचनाएं और खाद्य सुरक्षा से जुड़े विभिन्न नियम-विनियम उपलब्ध हैं, एफएसएसएआई स्वयं स्पष्ट करता है कि उसके कम्पेंडियम केवल संदर्भ के लिए हैं और मूल राजपत्र अधिसूचनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, यानी विवाद की स्थिति में किसी वेबसाइट पर उपलब्ध सारांश से ज्यादा महत्वपूर्ण होगा—मूल राजपत्र, मूल नियम और राज्य का विधिवत भर्ती/सेवा नियम, यही दस्तावेज इस पूरे मामले की असली तस्वीर सामने ला सकते हैं।

अब विभाग से मांगे जाने चाहिए ये दस्तावेज,पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए विभाग को कम से कम निम्न दस्तावेज सार्वजनिक करने चाहिए...

- **पहला:** खाद्य सुरक्षा अधिकारी के स्वीकृत, कार्यरत और रिक्त पदों की वर्तमान स्थिति।
- **दूसरा:** खाद्य सुरक्षा अधिकारीकी सीधी भर्ती के लिए पिछले 10 वर्षों में भेजे गए प्रस्ताव।
- **तीसरा:** नमूना सहायक से खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद पर पदोन्नति का मूल सेवा नियम।
- **चौथा:** 10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत पदोन्नति कोटा बढ़ाने का आदेश।
- **पांचवां:** अब तक हुई डीपीसी की कार्यवाही और नोटशीट।
- **छठा:** पदोन्नत कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यता और संबंधित अनुभव।
- **सातवां:** इस प्रक्रिया में विधि विभाग अथवा सक्षम विशेषज्ञ की राय।
- **आठवां:** एफएसएसएआई की संबंधित अधिसूचनाओं को डीपीसी के सामने रखने का रिकॉर्ड।
- **नौवां:** खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद की सीधी भर्ती को लेकर स्थापना शाखा की प्राथमिकता और प्रस्ताव।
- **दसवां:** राज्य के वर्तमान भर्ती एवं पदोन्नति नियम की प्रमाणित प्रति।

व्यवस्था कानून चला रहा है या व्याख्या?- खाद्य सुरक्षा व्यवस्था का अंतिम उद्देश्य किसी कर्मचारी को पद देना नहीं,बल्कि आम नागरिक को सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराना है,इसलिए जिस पद को खाद्य सुरक्षा कानून के प्रवर्तन की जिम्मेदारी दी गई है,उस पद की योग्यता और तकनीकी दक्षता से समझौता नहीं होना चाहिए,यदि नमूना सहायक से खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनने की व्यवस्था स्पष्ट नियम,निर्धारित योग्यता, आवश्यक अनुभव और सक्षम स्वीकृति के साथ मौजूद है तो विभाग को उसे सार्वजनिक करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन यदि नियम स्पष्ट नहीं है,डीपीसी की नोटशीट में वैधानिक आधार नहीं है,केंद्रीय अधिसूचनाओं का परीक्षण नहीं हुआ है और पदोन्नति केवल विभागीय व्याख्या के आधार पर हुई है तो यह गंभीर प्रशासनिक और कानूनी जांच का विषय होगा, घटती-घटना की पड़ताल का अगला सवाल यही है की खाद्य सुरक्षा विभाग में आखिर खाद्य सुरक्षा अधिकारी की भर्ती और पदोन्नति का वास्तविक नियम क्या है? और उससे भी बड़ा सवाल है की क्या खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाने से पहले 'खाद्य सुरक्षा कानून' देखा गया या सिर्फ 'सेवा नियम' की फाइल देखी गई? अब विभाग के पास जवाब देने का अवसर है, क्योंकि इस पूरे विवाद का समाधान आरोप-प्रत्यारोप से नहीं, बल्कि मूल राजपत्र, भर्ती नियम, डीपीसी नोटशीट और पदोन्नति आदेश को सार्वजनिक करने से होगा।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफ्सेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)